



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त लेखे

2023-24

खण्ड-I



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त लेखे

खण्ड-I

2023-24

छत्तीसगढ़ शासन

विषय-सूची		
विषय		पृष्ठ
खण्ड-I		
	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii-v
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiii
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2.	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4-6
	विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक-रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	7-13
3.	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	14-16
4.	समेकित निधि में व्यय का विवरण	17-20
	कार्यात्मक व्यय	
	व्यय का स्वरूप	21-23
5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	24-28
6.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	29-32
7.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण	33-37
8	वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार	38
9.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	39
10.	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	40-41
11.	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	42
12.	वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण	43-48
13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	49-50
	वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां	51-69
खण्ड-II		
भाग- I		
14.	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	72-113
15.	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	114-178
16.	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	179-354
17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	355-371
18.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण	372-409
19.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	410-436
20.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	437-444
21.	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	445-458
22.	उद्धिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण	459-463

विषय-सूची		
खण्ड-II		पृष्ठ
भाग-II-परिशिष्ट		
I	मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	466-478
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	479-485
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	486-547
IV	बाह्य सहायित परियोजनाओं की जानकारी	548-550
V	योजनाओं में व्यय	
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)	551-572
(ख)	राज्य योजनाएं	573-576
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियाँ (अलेखापरीक्षित आंकड़े))	577-587
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अंतशेषों का मिलान एवं स्वीकरण	588-589
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	590
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	591
IX	शासन की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची	592-622
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण	623-640
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं	641-647
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण	648-650
XIII	राज्यों के पुनर्गठन-राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण	651

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संब्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू

विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 17 (ख) (i), 17 (ग) (i), 19 एवं विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियों) और परिशिष्ट (VIII, IX, XI तथा XII) सीधे छत्तीसगढ़ सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्न विषय पर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ।

- 1) राज्य सरकार के 31 मार्च 2024 तक अपने बजट दायित्वों ₹ 1,34,179.36 करोड़ के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिए गए ₹ 7,292.94 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान का ऑफ बजट दायित्व है। हालांकि शासन द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रत्याभूतियाँ प्रदान की गई हैं, किन्तु इन ऋणों के मूलधन तथा ब्याज की पुनर्भुगतान का दायित्व पूर्णतः राज्य सरकार में निहित रहेगी। यद्यपि, उन दायित्वों को बजट दस्तावेज में उचित रूप से प्रकट नहीं की गई।

[विवरण क्रमांक 6 एवं 17 तथा वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ का अनुच्छेद 3(xvii) के संदर्भ में]

‘मामले के महत्व’ खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।



दिनांक : 19 नवम्बर 2024

स्थान : नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क शासकीय लेखे की संरचना का वृहद् सिंहावलोकन :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेष के आधार पर राज्य शासन के लोक ऋण और देनदारियां एवं परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे के साथ विनियोग लेखे होते हैं, जो अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. शासकीय लेखे निम्नानुसार तीन भागों में रखा जाता है :-

भाग I-समेकित निधि : इस निधि के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉण्डस्, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। व्यय के कुछ वर्ग जैसे (सांविधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगी, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर भारित होता है (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधान मण्डल में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए विधान मण्डल में मतदान किया जाता है।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं-राजस्व एवं पूंजी (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)। इन्हे पुनः 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है अर्थात्, 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान। ये तीन क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जैसे, 'वस्तु तथा सेवा कर', 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवा', इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति में कोई भी क्षेत्र या उप क्षेत्र नहीं होता है। राजस्व व्यय शीर्ष को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान। राजस्व व्यय के इन क्षेत्रों को पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है अर्थात्, 'राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला एवं संस्कृति' इत्यादि। पूंजीगत व्यय को सात क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है, जैसे-'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं आकस्मिकता निधि में अन्तरण'।

भाग II-आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

मुख्य शीर्षों को नामे कर, प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ शासन का आकस्मिक निधि ₹ 100.00 करोड़ है।


भाग III—लोक लेखा : सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में प्राप्त सभी अन्य लोक धन राशि, जहाँ सरकार एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे—अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (दोनों कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा के छः क्षेत्र हैं, अर्थात् 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण एवं रोकड़ शेष'। यह छः क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है। लोक लेखा राज्य विधायिका के मताधीन नहीं है।

- शासकीय लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है जैसे—मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजना को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजना को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्यों के घटक को प्रदर्शित करते हैं।
- लेखाओं में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई मुख्य शीर्ष होती है, जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति निहित है : (31 मार्च 2024 तक अद्यतित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका-जारी

5. लेखे की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है :



ख वित्त लेखे में क्या निहित है :-

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित 13 विवरणियाँ एवं वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ सम्मिलित है। खण्ड-I में वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ तथा 13 विवरणियों का उल्लेख नीचे दिये गये हैं :

- वित्तीय स्थिति का विवरण :** इस विवरण में वर्ष के अंत में राज्य शासन की आस्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों एवं विगत वर्षों के तुलनात्मक आँकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण** : इस विवरण में, सरकारी लेखे के तीनों भागों अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एक परिशिष्ट, जो राज्य सरकार के रोकड़ शेषों का वैकल्पिक चित्रण (निवेश सहित) दर्शाते हैं, सम्मिलित है। इस परिशिष्ट में राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)** : इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों का पुनर्भुगतान एवं लिए गये उधार सम्मिलित है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड—II में विस्तृत विवरण 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि)** : वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य चित्रण से भिन्न यह विवरण कार्य के स्वरूप अनुसार व्यय (व्यय का उद्देश्य) भी दर्शाता है। यह विवरण खण्ड—II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण** : यह विवरण खण्ड—II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप है।
6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण** : शासन के उधारों में उसके द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है। 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल है। इस विवरण में ऋणों के परिशोधन व्यवस्था पर एक टिप्पणी भी है तथा यह खण्ड—II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम का विवरण** : यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणी समूहों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरणों एवं एकल प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारी सहित) को दिये गये समस्त कर्ज तथा अग्रिम को प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड—II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप है।
8. **सरकार के निवेश का विवरण** : इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनी, अन्य संयुक्त उपक्रम, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में राज्य शासन के निवेशों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड—II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप है।
9. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण**: इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड—II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदानग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दी गई सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है। परिशिष्ट—III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण होते हैं।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ मिलान में सहायता करती है।
12. **राजस्व लेखे के अलावा व्यय हेतु निधि का स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना अपेक्षित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखे के निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण लेखे की परिशुद्धता को स्थापित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड—II में विस्तृत विवरण 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के अनुरूप है।

वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणियों प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेन—देन के वर्ग, शेष आदि के लिए प्रासंगिक अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखे के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार, भारत सरकार का लेखांकन मानकों का अनुपालन, लेखाओं का रूप, पूंजी एवं राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्त लेखे के खण्ड—I में वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां के भाग के रूप में सम्मिलित है।

वित्त लेखे के खण्ड—II के दो भाग हैं : भाग—I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग—II में 13 परिशिष्ट।

14. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड—I के सारांशित विवरण 3 के अनुरूप है। लघुशीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के विवरण को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त यह विवरण केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उपशीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाता है।
15. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड—I के सारांशित विवरण 4 के अनुरूप है, जो राज्य शासन के राजस्व व्यय को दर्शाता है। भारित तथा दत्तमत व्ययों को स्पष्टतः पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

16. **पूँजीगत व्यय का लघुशीर्ष एवं उपशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड-I के सारांशित विवरण 5 के अनुरूप है, जो राज्य शासन के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को प्रदर्शित करते हैं। भारत तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्टतः पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं। लघुशीर्ष स्तर पर पूँजीगत व्यय दर्शाये जाने के अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में यह विवरण उपशीर्ष स्तर की जानकारी भी प्रदर्शित करता है।
17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड-I के सारांशित विवरण-6 के अनुरूप है, जिसमें राज्य शासन द्वारा उगाहे गये समस्त ऋण (बाजार ऋण, बंदपत्र, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है। इस विवरण में ऋणों की जानकारी तीन संवर्ग में प्रस्तुत किये गये हैं: (क) ऋणों का विवरण, (ख) परिपक्वता रूपरेखा अर्थात् प्रत्येक संवर्ग के ऋणों का विभिन्न वर्षों में देय राशि, (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर रूपरेखा एवं बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड-I के सारांशित विवरण 7 के अनुरूप है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में वर्ष के दौरान निवेश के कम्पनी वार एवं मुख्य एवं लघुशीर्ष वार निवेश का विवरण दर्शाता है, जहाँ विवरण 16 एवं 19 के मध्य अंतर है। यह विवरण खण्ड-I के विवरण 8 के अनुरूप है।
20. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में सरकारी प्रत्याभूतियों का कम्पनी वार विवरण प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड-I के विवरण 9 के अनुरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे संव्यवहारों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघुशीर्षवार स्तर पर दर्शाया जाता है।
22. **उद्धिष्ट शेष के निवेश का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश का विवरण दर्शाया जाता है।

खण्ड-II के भाग-II

भाग-II में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान, बाह्य सहायित परियोजनाओं आदि सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट सम्मिलित है। यह विवरण, उप-शीर्ष अथवा निचले स्तर (अर्थात् लघुशीर्ष स्तर से नीचे) तक लेखे में दर्शाए जाते हैं एवं इसलिए इन्हें सामान्यतः वित्त लेखे में दर्शाये नहीं जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—समाप्त

परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड-I एवं II में 'विषय-सूची' में दर्शाये जाते हैं। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणों एवं वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां वित्तीय स्थिति के साथ-साथ वर्ष के लिए शासन की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करती है।

ग सुलभ तालिका :

खण्ड-I में सारांशिकृत विवरण एवं खण्ड-II में समावेशित विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के मध्य संबंध निम्न तालिका में दर्शाया गया है (परिशिष्ट जिनके सारांशिकृत विवरणों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निम्न तालिका में नहीं दर्शाये गये हैं)।

मापदण्ड	खण्ड-I	खण्ड-II	
	सारांशिकृत विवरण	विस्तृत विवरण	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	..
राजस्व व्यय	2, 4,	15	I (वेतन), II (आर्थिक सहायता)
शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	..	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
शासन द्वारा प्रदत्त कर्जे तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	..
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	..
कम्पनियों, निगमों आदि पर शासन का निवेश	8	19	..
रोकड़	1, 2, 12, 13
लोक लेखे में शेष एवं उस पर निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	..
प्रत्याभूतियाँ	9	20	..
योजनाएं	IV (बाह्य सहायित परियोजनाओं)

सारांशित विवरण

1. वित्तीय स्थिति

आस्तियों ¹	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां	विवरण/ परिशिष्ट		
रोकड़				
(i) कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	..	2, 21	12.07	12.09
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	2, 21	0.34	0.34
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	2, 21	5,933.48	485.61
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	5 (viii)	2, 21	194.40	215.63
(vi) पृथक उद्धिष्ट निधियों से निवेश ²	..	2, 21	7,656.95	7,334.30
पूंजीगत व्यय				
(i) कंपनी, निगम इत्यादि के अंशपूंजी में निवेश	..	5,8,16,19	7,232.91 ³	7,172.06
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5, 16	1,33,909.81	1,18,555.14
आकस्मिकता निधि व्यय (अप्रतिपूरित)	13.47	0.00
कर्जे और पेशगियां	..	7, 18	1,664.85	1,378.31
विभागीय अधिकारियों के पास पेशगियां	..	21	7.10	7.00
उचन्त और विविध शेष ⁴	0.00	0.00
प्रेषण शेष	5 (iii)	12, 21	351.50	298.66
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	..	12	0.00	0.00
योग	1,56,976.88	1,35,459.14

¹ आस्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां' के टीप 1(v) भी देखें।

² केन्द्र सरकार की प्रतिभूती में निवेशित राशि ₹ 7,356.24 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से संयुक्त उपक्रम कम्पनियों "छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित", "छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे मर्यादित" एवं "छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित" के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 300.71 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ राज्य शासन की कंपनियों/निगमों इत्यादि का कुल अंशपूंजी निवेश ₹ 7,533.62 करोड़ है जिसमें से ₹ 7,232.91 करोड़ पूंजीगत शीर्षों से निवेश किया गया है एवं ₹ 300.71 करोड़ उद्धिष्ट निधि "छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि" से निवेश किया गया है।

⁴ इस विवरण में "उचन्त एवं विविध" के अन्तर्गत "रोकड़ शेष निवेश लेखे", "विभागीय शेष" एवं "स्थायी रोकड़ अग्रदाय" सम्मिलित नहीं हैं, जिसे पृथक से उपर दर्शाया गया है यद्यपि ये लेखे कहीं इस क्षेत्र का एक हिस्सा बनता है।

का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्वों ⁵	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां	विवरण/ परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)				
(i) राज्य शासन का आंतरिक ऋण				
बाजार कर्ज	..	6, 17	86,032.09	59,732.09
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	..	6, 17	609.17	696.18
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	..	6, 17	5,891.42	5,263.21
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियां जारी	..	6, 17	2,607.49	3,063.36
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	6, 17	0.00	0.00
(ii) केन्द्र सरकार से कर्ज और पेशगियां				
आयोजनेतर कर्ज	..	6, 17	0.56	0.56
राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6, 17	1,761.20	2,001.05
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6, 17	0.19	0.19
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6, 17	0.00	0.00
1984-85 पूर्व के कर्ज	..	6, 17	0.69	0.69
राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	..	6, 17	16,984.74 ⁶	13,193.46
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	..	21	100.00	100.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	..	12,17,21	10,848.71	9,326.98
(ii) जमा	..	12,17,21	6,405.35	6,146.92
(iii) आरक्षित निधियां	..	12,21,22	10,694.70	9,606.04
(iv) प्रेषण शेष	0.00	0.00
(v) उचंचत और विविध शेष	5(iii)	12, 21	181.93 ⁷	238.80
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य⁸	14,858.64	26,089.61
योग	1,56,976.88	1,35,459.14

⁵ आस्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' के टीप 1 (v) देखें।

⁶ वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020-21 (₹ 3,109.00 करोड़) एवं 2021-22 (₹ 4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदत्त ₹ 8,074.15 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित हैं।

⁷ मुख्यशीर्ष 8658-‘उचंचत लेखा’ का अंतशेष ₹ 124.65 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8670-‘चेक्स तथा बिल’ का अंतशेष ₹ 57.28 करोड़ सम्मिलित हैं।

⁸ व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व आधिक्य को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आंकड़े ‘पूँजीगत एवं अन्य व्यय’ तथा ‘निधियों के मुख्य स्रोत’ के निवल से निकाले गए हैं। विस्तृत जानकारी विवरण क्रमांक 12 में है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23
भाग-1 समेकित निधि					
अनुभाग क-राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	1,03,508.20	93,877.14	राजस्व व्यय	1,14,740.96	85,285.03
कर राजस्व	77,268.10	65,480.57	वेतन ¹	27,669.25 ^{2,3}	24,967.33
स्वयं के कर राजस्व	38,786.22	33,122.31	आर्थिक सहायता ¹	10,796.88 ⁴	8,306.28
संघीय करों/शुल्कों का अंश	38,481.88	32,358.26	सहायता अनुदान ^{1,5}	48,188.96 ⁶	25,734.73
करेत्तर राजस्व	15,147.97	15,248.24	सामान्य सेवायें	18,880.01 ⁷	16,266.97
ब्याज प्राप्तियां	175.16	200.75	ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवायें	7,213.34	6,782.08
अन्य	14,972.81	15,047.49	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	9,111.82 ⁸	7,661.46
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	11,092.13	13,148.33	अन्य	2,554.85	1,823.43
			सामाजिक सेवायें	3,439.14	4,763.85
			आर्थिक सेवायें	4,469.15	4,103.30
			स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	1,297.57 ⁹	1,142.57
राजस्व घाटा	11,232.76	0.00	राजस्व आधिक्य	0.00	8,592.11

- समेकित आंकड़ा प्रदर्शित करने के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान के आँकड़ों के योग किए गये हैं। इस विवरण में "सामान्य, "सामाजिक" एवं आर्थिक" सेवा क्षेत्रों के व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं है (पादटीप 2, 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित)।
- उद्देश शीर्ष 01-वेतन एवं 07-कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के अन्तर्गत दर्ज व्यय क्रमशः ₹ 27,260.76 करोड़ एवं ₹ 408.49 करोड़ सम्मिलित है।
- सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन व्यय क्रमशः ₹ 6,557.03 करोड़, ₹ 18,746.00 करोड़ एवं ₹ 2,366.22 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक I देखें।
- सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता व्यय क्रमशः ₹ 11.28 करोड़, ₹ 6.10 करोड़ एवं ₹ 10,779.50 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक II देखें।
- शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दिये जाते हैं जो ऊपर दिखाये अनुसार शामिल हैं। ये सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति एवं करों के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न हैं जिसे पृथक रूप में "स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।
- सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 791.69 करोड़, ₹ 17,220.70 करोड़ एवं ₹ 30,176.57 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 10 एवं परिशिष्ट क्रमांक-III देखें।
- ऑफ बजट दायित्व पर ₹ 742.15 करोड़ का ब्याज भुगतान सम्मिलित है।
- इस राशि में विस्तृत शीर्ष-12-पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ ₹ 8,839.08 करोड़, 25-सामग्री और पूर्तियों ₹ 3.97 करोड़, 37-अंतः लेखा अन्तरण-छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि में अंतरण-के अन्तर्गत दर्ज व्यय- ₹ 272.00 करोड़, तथा 40-घटाएँ वसूलियाँ ₹ (-)3.23 करोड़ सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2023-24 में राज्य शासन द्वारा दिये गये सहायता अनुदान ₹ 1,367.09 करोड़ जिसमें से ₹ 69.52 करोड़ पंचायत भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प ड्यूटी निधि को स्थानांतरित किया गया।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2023—24	2022—23		2023—24	2022—23
अनुभाग ख—पूँजी					
पूँजीगत प्राप्तियां	5.01	5.60	पूँजीगत व्यय	15,418.93¹⁰	13,320.30
			सामान्य सेवायें	884.24	754.64
			सामाजिक सेवायें	7,074.24	4,988.83
			आर्थिक सेवायें	7,460.45 ¹¹	7,576.83
कर्ज तथा पेशगियों की वापसी	24.96	117.52	कर्ज तथा पेशगियों का संवितरण	311.50	85.96
सामान्य सेवायें	0.00	50.00	सामान्य सेवायें	0.00	0.00
सामाजिक सेवायें	0.50	4.63	सामाजिक सेवायें	215.90	35.96
आर्थिक सेवायें	24.40	62.85	आर्थिक सेवायें	95.60	50.00
शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियां	0.06	0.04	शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियां	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियां	54,049.72	10,638.74	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	24,112.96	9,600.72
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि) ¹²	50,258.44	6,938.61	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज इत्यादि) ¹²	23,873.11	9,370.39
भारत सरकार से कर्ज	3,791.28	3,700.13	भारत सरकार से कर्ज	239.85	230.33
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.65	(-)0.28	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.46	(-)0.10
योग—समेकित निधि प्राप्तियां	1,57,588.54	1,04,638.72	योग—समेकित निधि व्यय	1,54,584.81	1,08,291.91
समेकित निधि में कमी	0.00	3,653.19	समेकित निधि में आधिक्य	3,003.73	..
भाग—II—आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	63.49	0.00	आकस्मिकता निधि	76.96	0.00

¹⁰ पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए ₹ 3,597.45 करोड़, सहायता अनुदान के ₹ 10.00 करोड़, वेतन के ₹ 64.14 करोड़ एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के ₹ 54.94 करोड़ के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित है।

¹¹ मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 299.29 करोड़) तथा 4810 (₹ 50.90 करोड़) में वर्गीकृत कुल पूँजीगत व्यय ₹ 350.19 करोड़, 'विद्युत विकास निधि', मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 30.69 करोड़ 'छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि' तथा मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत वर्गीकृत (₹ 272.68 करोड़) 'केन्द्रीय सड़क निधि एवं अधोसंरचना निधि तथा मुख्यशीर्ष 4059 (₹ 93.77 करोड़) एवं मुख्यशीर्ष 5054 (₹ 1.94 करोड़) के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 95.71 करोड़ का पूँजीगत व्यय अधोसंरचना विकास निधि तथा पर्यावरण विकास निधि से प्रतिपूर्ति किया गया।

¹² वर्ष 2023—24 में केन्द्र शासन के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से कोई भी कर्ज प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु मूलधन तथा ब्याज कमशः ₹ 455.87 करोड़ एवं ₹ 284.20 करोड़ का भुगतान किया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 6 का व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2 देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23
भाग-III—लोक लेखा¹³					
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,222.13	2,965.00	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,700.40	1,658.52
आरक्षित तथा निक्षेप निधि	7,292.47	5,781.68	आरक्षित तथा निक्षेप निधि	6,526.46	5,963.07
जमा	2,848.20	2,587.00	जमा	2,589.77	2,226.57
पेशगियां	712.10	613.17	पेशगियां	712.20	612.82
उचंत तथा विविध	2,00,606.38	1,87,127.10	उचंत तथा विविध ¹⁴	2,06,111.10	1,84,171.22
प्रेषण	5,309.37	8,834.59	प्रेषण	5,362.21	8,797.03
योग—लोक लेखा प्राप्तियां	2,19,990.65	2,07,908.54	योग—लोक लेखा व्यय	2,23,002.14	2,03,429.23
लोक लेखा में घाटा	3,011.49	0.00	लोक लेखा में आधिक्य	0.00	4,479.31
प्रारंभिक रोकड़ शेष	215.63	(-)610.48	रोकड़ का अंतशेष	194.40	215.63
रोकड़ शेष में वृद्धि	..	826.11	रोकड़ शेष में कमी	21.23	..

¹³ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-II के विवरण क्रमांक 21 देखें।

¹⁴ उचंत एवं विविध में "अन्य लेखे" जैसे—रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखाओं के कारण आंकड़े वृहद परिलक्षित होता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण क्रमांक 21 देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

शासन की सकल रोकड़ स्थिति		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क—सामान्य रोकड़ शेष			
(1)	कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2)	रिजर्व बैंक में जमा ¹⁵	194.40 ¹⁶	215.63
योग		194.40	215.63
(3)	'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया निवेश	5,933.48	485.61
योग—(क)—सामान्य रोकड़ शेष		6,127.88	701.24
ख—अन्य रोकड़ शेष और निवेश—			
(1)	विभागीय अधिकारियों जैसे—वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़	12.07	12.09
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
(3)	पृथक उद्दिष्ट निधियों का निवेश	7,656.95 ¹⁷	7,334.30
योग—(ख)—अन्य रोकड़ शेष और निवेश—		7,669.36	7,346.73
योग (क) एवं (ख)		13,797.24	8,047.97

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य** :- रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्गत कोषालय में नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा एवं मार्गस्थ प्रेषण सम्मिलित है। उपरोक्त क (2) में दर्शित "भारतीय रिजर्व बैंक" जमा के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के समेकित शेषों को प्रदर्शित करता है। समग्र रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषालयों एवं विभागों में नगद शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों से निवेश, आदि को रिजर्व बैंक जमा शेषों में सम्मिलित किया जाता है।
- (ख) **दैनिक रोकड़ शेष** :- रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार राज्य शासन को बैंक में ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि शेष राशि, किसी भी दिवस में करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति रिजर्व बैंक से समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा एवं साधारण अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 99 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लिया जाकर न्यूनतम शेष ₹ 0.72 करोड़ रखा गया।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को स्वीकृत करने के उद्देश्य से दैनिक रोकड़ शेष की गणना हेतु 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की धारिता, साथ में वर्तमान दिवस को सूचित लेन-देनों (भारतीय रिजर्व बैंक के शाखाओं, अंतः सरकार लेन-देनों तथा अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित कोषालय के लेन-देनों) के आधार पर

¹⁵ "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अन्तर्गत शेष का निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के 10 अप्रैल 2024 तक के अन्तः शासन मौद्रिक समाशोधन के संव्यवहारों को सम्मिलित किया गया है।

¹⁶ मार्च 2024 के लेखे बंद होने पर प्रधान महालेखाकार के लेखे अनुसार रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित राशि ₹ 194.40 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 164.77 करोड़ (जमा) के मध्य ₹ 29.63 करोड़ (नामे) का अन्तर था। यह अंतर मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2023 में मार्च 2023 के ₹ 29.61 करोड़ (नामे) के ई-कुबेर संव्यवहारों को सम्मिलित करने तथा मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर को त्रुटिपूर्ण सूचना देने के कारण है, जो राज्य शासन के नगद शेष को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जून 2024 के लेखे बंद होने के उपरान्त, उक्त अंतर ₹ 0.01 करोड़ (नामे) था, जो पुनर्मिलान के अधीन है।

¹⁷ इसमें भारत सरकार के प्रतिभूति और कोषालय देयक में ₹ 7,356.24 करोड़ एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों की अंशपूंजी में ₹ 300.71 करोड़ का निवेश सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक आकलन करती है। इस तरह आकलित शेष में 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की परिपक्वता (यदि कोई हो) जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखते हुए अधिक शेष यदि हो, तो उसे ट्रेजरी बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। यदि आकलित निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम शेष से कम होता है अथवा क्रेडिट शेष हो और उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल परिपक्व नहीं होता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक धारित 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की भुनाती है एवं उस कमी को पूरा कर लेती है और यदि उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल नहीं हो तो राज्य शासन अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्षण हेतु आवेदन करता है।

- (ग) **आहरण सुविधा की सीमा (डब्ल्यू.एम.ए.)** : 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,056.00 करोड़ राज्य शासन के साधारण आहरण सुविधा की सीमा थी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गवर्नमेंट सिक्क्यूरिटी के बंधक पर विशेष आहरण सुविधा देने पर सहमति दी गई है। बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा की सीमा समय-समय पर संशोधन किया जाता है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा निम्नानुसार है :

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.04.2023 से 06.04.2023	4,268.24
07.04.2023 से 09.04.2023	4,267.33
10.04.2023	4,269.10
11.04.2023 से 16.04.2023	4,268.25
17.04.2023	4,269.46
18.04.2023	4,270.11
19.04.2023	4,274.74
20.04.2023 से 01.05.2023	4,086.62
02.05.2023 से 03.05.2023	4,086.63
04.05.2023 से 08.05.2023	4,086.62
09.05.2023	4,086.60
10.05.2023 से 12.05.2023	4,087.47
13.05.2023 से 14.05.2023	4,043.57
15.05.2023 से 16.05.2023	4,044.66
17.05.2023 से 19.05.2023	4,041.18
20.05.2023 से 21.05.2023	3,702.02
22.05.2023	4,032.84
23.05.2023	4,039.01
24.05.2023	4,038.96
25.05.2023 से 01.06.2023	4,038.92
02.06.2023 से 04.06.2023	4,038.86
05.06.2023	4,054.08
06.06.2023	4,041.23
07.06.2023 से 09.06.2023	4,041.32

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी
तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
10.06.2023 से 11.06.2023	4,041.06
12.06.2023	4,041.26
13.06.2023 से 14.06.2023	4,041.32
15.06.2023	4,041.74
16.06.2023	4,041.70
17.06.2023 से 18.06.2023	4,033.70
19.06.2023	4,054.89
20.06.2023 से 22.06.2023	4,051.76
23.06.2023 से 25.06.2023	4,051.77
26.06.2023	4,054.08
27.06.2023 से 30.06.2023	4,052.39
01.07.2023 से 07.07.2023	4,286.15
08.07.2023 से 09.07.2023	4,282.84
10.07.2023	4,296.04
11.07.2023	4,286.49
12.07.2023 से 13.07.2023	4,287.33
14.07.2023 से 16.07.2023	4,287.31
17.07.2023 से 19.07.2023	4,294.51
20.07.2023 से 26.07.2023	3,651.33
27.07.2023 से 01.08.2023	3,652.54
02.08.2023	3,654.95
03.08.2023	4,068.30
04.08.2023 से 09.08.2023	4,068.33
10.08.2023 से 16.08.2023	3,882.70
17.08.2023 से 20.08.2023	3,884.39
21.08.2023	3,887.26
22.08.2023 से 27.08.2023	3,885.08
28.08.2023	3,896.36
29.08.2023 से 03.09.2023	3,885.32
04.09.2023	3,886.00
05.09.2023 से 08.09.2023	3,885.33
09.09.2023 से 10.09.2023	3,879.18
11.09.2023 से 15.09.2023	3,885.74
16.09.2023 से 17.09.2023	3,878.64
18.09.2023	3,894.48
19.09.2023	3,881.10

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
 विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी
 तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
20.09.2023	3,887.67
21.09.2023 से 24.09.2023	3,884.25
25.09.2023	3,893.01
26.09.2023 से 29.09.2023	3,886.45
30.09.2023 से 01.10.2023	3,880.54
02.10.2023	3,825.41
03.10.2023 से 06.10.2023	3,832.18
07.10.2023 से 08.10.2023	3,831.27
09.10.2023	3,832.19
10.10.2023 से 17.10.2023	3,832.17
18.10.2023 से 01.11.2023	3,832.87
02.11.2023 से 03.11.2023	3,832.89
04.11.2023 से 05.11.2023	3,831.96
06.11.2023 से 08.11.2023	3,832.91
09.11.2023	3,832.96
10.11.2023 से 12.11.2023	3,834.41
13.11.2023	3,834.68
14.11.2023	3,834.00
15.11.2023 से 20.11.2023	3,834.69
21.11.2023 से 22.11.2023	3,823.25
23.11.2023	3,824.15
24.11.2023	3,823.17
25.11.2023 से 27.11.2023	3,818.13
28.11.2023 से 01.12.2023	3,822.98
02.12.2023 से 03.12.2023	3,812.46
04.12.2023	3,822.88
05.12.2023 से 06.12.2023	3,825.44
07.12.2023 से 14.12.2023	3,826.78
15.12.2023	3,826.75
16.12.2023 से 17.12.2023	3,818.57
18.12.2023	3,835.15
19.12.2023 से 22.12.2023	3,838.57
23.12.2023 से 25.12.2023	3,838.25
26.12.2023 से 29.12.2023	3,838.72
30.12.2023 से 31.12.2023	3,841.70
01.01.2024	3,843.11

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
 विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी
 तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
02.01.2024 से 07.01.2024	3,843.26
08.01.2024	3,846.55
09.01.2024 से 10.01.2024	3,843.17
11.01.2024	3,843.13
12.01.2024 से 14.01.2024	3,843.10
15.01.2024	3,844.78
16.01.2024	3,843.10
17.01.2024	3,844.92
18.01.2024 से 23.01.2024	1,089.58
24.01.2024	1,089.93
25.01.2024 से 26.01.2024	3,765.32
27.01.2024 से 28.01.2024	3,763.99
29.01.2024	3,765.50
30.01.2024 से 31.01.2024	3,765.30
01.02.2024	3,351.95
02.02.2024	3,356.98
03.02.2024 से 04.02.2024	3,356.33
05.02.2024	3,358.26
06.02.2024	3,357.96
07.02.2024	3,545.04
08.02.2024 से 09.02.2024	4,076.63
10.02.2024 से 11.02.2024	4,071.68
12.02.2024 से 13.02.2024	4,077.38
14.02.2024	4,086.59
15.02.2024 से 19.02.2024	4,088.16
20.02.2024 से 21.02.2024	4,088.18
22.02.2024 से 27.02.2024	4,091.94
28.02.2024	4,091.08
29.02.2024 से 03.03.2024	4,092.29
04.03.2024 से 05.03.2024	4,092.98
06.03.2024 से 08.03.2024	4,092.31
09.03.2024 से 10.03.2024	4,086.13
11.03.2024 से 14.03.2024	4,093.79
15.03.2024	4,093.76
16.03.2024	4,086.21
17.03.2024	4,078.52

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—समाप्त

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
18.03.2024	4,094.72
19.03.2024	4,101.10
20.03.2024	4,094.93
21.03.2024 से 22.03.2024	4,349.10
23.03.2024 से 25.03.2024	4,342.51
26.03.2024	4,351.39
27.03.2024	4,163.58
28.03.2024 से 30.03.2024	4,365.26
31.03.2024	4,400.34

अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षण पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के अनुसार ब्याज प्रभारित होता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

तालिका : अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज का विवरण

सरल क्रमांक	शीर्षक	दर
1.	90 दिवस तक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट
2.	90 दिवस से अधिक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट (+) एक प्रतिशत
3.	विशेष आहरण सुविधा—समेकित निक्षेप निधि/ गारंटी मोचन निधि से जुड़ी प्रतिभूतियां	रेपो रेट (-) दो प्रतिशत
4.	विशेष आहरण सुविधा—अन्य प्रतिभूतियां—नीलामी कोषालय बिल	रेपो रेट (-) एक प्रतिशत
5.	साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शत प्रतिशत तक अधिविकर्षण	रेपो रेट (+) दो प्रतिशत
6.	साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शत प्रतिशत से अधिक के अधिविकर्षण	रेपो रेट (+) पाँच प्रतिशत

वर्ष 2023-24 में रेपो रेट निम्नानुसार है :

तालिका : रेपो रेट का विवरण

अवधि	रेपो रेट
01.04.2023 से 07.06.2023	6.5 प्रतिशत
08.06.2023 से 09.08.2023	6.5 प्रतिशत
10.08.2023 से 05.10.2023	6.5 प्रतिशत
06.10.2023 से 07.12.2023	6.5 प्रतिशत
08.12.2023 से 07.02.2024	6.5 प्रतिशत
08.02.2024 से 31.03.2024	6.5 प्रतिशत

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—समाप्त
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—समाप्त
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—समाप्त**

वर्ष 2023-24 की अवधि में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहीं तक समर्थ थी, नीचे दर्शाया गया है :

(i) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना अग्रिम लिए बनाये रखी गई	267
(ii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष आहरण सुविधा लेकर बनाए रखी गई	99
(iii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखी गई	निरंक
(iv) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिम का उपयोग करने के बावजूद न्यूनतम अवशेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v) दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिये गए	निरंक

(घ) 31 मार्च 2024 को सामान्य रोकड़ शेष से किये गए निवेशों का विवरण निम्नानुसार है :

तलिका : रोकड़ शेष निवेश की जानकारी

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	प्रतिभूतियों का नाम	राशि
1.	भारत सरकार के कोषालय बिल	5,933.48
	योग	5,933.48

- (ड) वर्ष 2022-23 में ₹ 41.70 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान रोकड़ शेष निवेशों पर ₹ 26.41 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।
- (च) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों के अंशपूजी में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण क्रमांक-19-“सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण” में दिये गये हैं।
- (छ) पृथक उद्धिष्ट निधियों से निवेशित राशियां की जानकारी विवरण क्रमांक-22-“उद्धिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण” में दर्शाई गई है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2023-24	2022-23
I. कर तथा करेत्तर राजस्व			
(क)	कर राजस्व-		
क.1	स्वयं के कर राजस्व-	38,786.22	33,122.30
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	13,793.29	11,298.14
	होटल प्राप्ति कर	0.35	0.63
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.47	0.42
	भू-राजस्व	847.80	868.56
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,494.18	2,228.64
	राज्य उत्पाद शुल्क	8,430.41	6,782.70
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,513.48	6,450.03
	वाहन कर	2,048.20	1,756.62
	माल तथा यात्री कर	73.28	59.60
	विद्युत कर तथा शुल्क	4,584.76	3,676.97
क.2	संघीय करों/शुल्क के निवल आगमों का अंश	38,481.88	32,358.26
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	11,678.76	9,142.17
	निगम कर	11,550.56	10,851.70
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	13,339.34	10,589.64
	धन कर	0.00	0.00
	सीमा शुल्क	1,348.55	1,271.87
	संघ उत्पाद शुल्क	510.32	399.02
	सेवा कर	7.18	50.61
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	47.17	53.25
	योग-(क)	77,268.10	65,480.57
(ख)	करेत्तर राजस्व-		
	ब्याज प्राप्तियां	175.16	200.75
	अन्य-		
	लाभांश तथा लाभ	3.84	6.20
	लोक सेवा आयोग	0.87	1.84
	पुलिस	60.64	47.35
	जेल	4.48	4.27
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3.80	3.18
	लोक निर्माण कार्य	21.32	15.28
	अन्य प्रशासनिक सेवायें	43.60	42.11
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	12.84	22.17
	विविध सामान्य सेवायें	8.18	83.45
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	32.59	28.83
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	35.30	75.36
	परिवार कल्याण	0.00	0.02
	जलपूर्ति तथा सफाई	1.52	1.36
	आवास	6.80	5.36
	शहरी विकास	167.96	31.65
	सूचना तथा प्रचार	0.02	0.22

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण-जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2023-24	2022-23
I. कर तथा करेतर राजस्व			
(ख)	करेतर राजस्व-समाप्त		
	अन्य-समाप्त		
	श्रम तथा रोजगार	34.44	34.92
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7.67	9.30
	अन्य सामाजिक सेवाएं	29.19	25.20
	फसल कृषि-कर्म	32.88	22.56
	पशु पालन	6.91	6.36
	मछली पालन	6.97	6.36
	वानिकी और वन्य प्राणी	811.28	856.04
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1.53	1.03
	सहकारिता	2.68	2.23
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.37	1.70
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	5.33	5.98
	वृहद् सिंचाई	448.80	412.88
	मध्यम सिंचाई	4.15	6.25
	लघु सिंचाई	342.10	311.86
	ग्राम तथा लघु उद्योग	4.92	2.70
	उद्योग	10.58	13.13
	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	12,795.34 ¹	12,941.33
	अन्य उद्योग	0.01	0.00
	सड़क तथा सेतु	1.19	1.18
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.71	17.83
	योग-अन्य	14,972.81	15,047.49
	योग-(ख)	15,147.97	15,248.24
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान-			
(ग)	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-		
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं		
	केन्द्रीय सहायता/अंशदान	8,193.61	8,666.39
	बाह्य सहायित परियोजना-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान ²	40.63	53.08
	घटायें-वापसियां	(-)16.62 ³	(-)6.95
	योग-केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	8,217.62	8,712.52

¹ कोल ब्लॉक की निलामी से प्राप्त (₹ 1,838.86 करोड़) तथा कोयला के अलावा अन्य खनिजों के निलामी से प्राप्त (₹ 73.02 करोड़) कुल ₹ 1,911.88 करोड़ सम्मिलित है।

² कृपया विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-II के परिशिष्ट IV देखें।

³ इस राशि में कृषि मंत्रालय को ₹ 4.18 करोड़, उपभोक्ता मामले मंत्रालय-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण को ₹ 2.03 करोड़ तथा कल्याण मंत्रालय को ₹ 10.41 करोड़ की वापसी सम्मिलित है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2023—24	2022—23
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ग)	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—समाप्त		
	वित्त आयोग अनुदान		
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,125.00	1,114.00
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	373.50	477.20
	राज्य आपदा राहत निधि के लिए सहायता अनुदान	181.60	181.60
	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	90.80	0.00
	योग—वित्त आयोग अनुदान	1,770.90	1,772.80
	राज्य/विधान मण्डल वाले संघ/राज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान		
	विशेष सहायता	6.22	1.59
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के उपबन्ध के अन्तर्गत अनुदान	156.77	135.78
	केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान	353.60	86.92
	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	587.02	2,438.72
	योग— राज्य/विधान मण्डल वाले संघ/राज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	1,103.61	2,663.01
	योग—ग	11,092.13	13,148.33
	योग—राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	1,03,508.20	93,877.14
III-पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां			
घ	पूंजीगत प्राप्तियां		
	अन्य	5.01	5.60
	योग—घ	5.01	5.60
ड.	लोक ऋण प्राप्तियां		
	आन्तरिक ऋण	50,258.44	6,938.61
	बाजार कर्जे	32,000.00	2,000.00
	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	0.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	1,587.43 ⁴	1,210.50
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0.00	0.00
	91 दिवस जमा पर विशेष आहरण सुविधा	16,671.01	3,728.11
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगिर्यो	3,791.28	3,700.13
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्जे	3,791.28	3,700.13
	योग—ड.	54,049.72	10,638.74
च	राज्य शासन द्वारा कर्जे तथा पेशगिर्यो (वसूलियां ⁵)	24.96	117.52
छ	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.65	(-)-0.28
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां⁶ (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)	1,57,588.54	1,04,638.72

⁴ ₹ 1,587.43 करोड़ का ऋण राष्ट्रीय कृषि बैंक (₹ 1,505.13 करोड़) एवं लघु उद्योग विकास बैंक (₹ 82.30 करोड़) से प्राप्त किया गया।

⁵ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-I में विवरण क्रमांक 7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 18 देखें।

⁶ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-I में विवरण क्रमांक 2, 6 एवं 7 तथा खण्ड-II में विवरण क्रमांक 14, 17 एवं 18 देखें।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण

क-कार्यात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
क	सामान्य सेवायें				
क.1	राज्य के अंग				
	संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	59.31	0.00	0.00	59.31
	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति / राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	12.76	0.00	0.00	12.76
	मंत्रि-परिषद	132.90	0.00	0.00	132.90
	न्याय प्रशासन	558.45	0.00	0.00	558.45
	निर्वाचन	292.53	0.00	0.00	292.53
क.2	राजकोषीय सेवाएं				
	भू-राजस्व	930.66	0.00	0.00	930.66
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	148.01	0.00	0.00	148.01
	राज्य उत्पाद शुल्क	112.05	0.00	0.00	112.05
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	95.71	0.00	0.00	95.71
	वाहन कर	48.82	0.00	0.00	48.82
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	394.76	0.00	0.00	394.76
क.3	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा				
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	415.00	0.00	0.00	415.00
	ब्याज की अदायगियों	6,798.34	0.00	0.00	6,798.34
क.4	प्रशासनिक सेवाएं				
	लोक सेवा आयोग	21.26	0.00	0.00	21.26
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	483.62	0.00	0.00	483.62
	जिला प्रशासन	392.71	0.00	0.00	392.71
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	88.36	0.00	0.00	88.36
	पुलिस	5,172.55	163.67	0.00	5,336.22
	जेल	182.51	0.00	0.00	182.51
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	10.20	0.11	0.00	10.31
	लोक निर्माण-कार्य	535.82	617.00	0.00	1,152.82
	सतर्कता	5.46	0.00	0.00	5.46
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	225.71	103.46	0.00	329.17
क.5	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,111.82	0.00	0.00	9,111.82
	विविध सामान्य सेवाएं	10.69	0.00	0.00	10.69
	योग-क-सामान्य सेवाएं	26,240.01	884.24	0.00	27,124.25

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क-कार्यात्मक व्यय—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (कृपया विवरण के नीचे की टीप 1 देखें।)				
	सामान्य शिक्षा	19,468.37	1,360.90 ¹	0.00	20,829.27
	तकनीकी शिक्षा	209.28	0.00	0.00	209.28
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	161.55	0.00	0.00	161.55
	कला एवं संस्कृति	80.53	0.00	0.00	80.53
ख.2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6,054.80	581.30	0.00	6,636.10
	परिवार कल्याण	271.31	0.00	0.00	271.31
ख.3	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
	जलपूर्ति तथा सफाई	546.00	3,107.05	20.00	3,673.05
	आवास	3,386.05	86.85	0.00	3,472.90
	शहरी विकास	2,011.80	1,470.45	195.90	3,678.15
ख.4	सूचना तथा प्रसारण				
	सूचना तथा प्रचार	739.32	0.72	0.00	740.04
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	220.10	331.69	0.00	551.79
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
	श्रम तथा रोजगार	580.66	0.00	0.00	580.66
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,276.03	115.80	0.00	4,391.83
	पोषण	763.63	0.00	0.00	763.63
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	609.58	0.00	0.00	609.58
ख.8	अन्य				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	13.62	19.48	0.00	33.10
	सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	19.31	0.00	0.00	19.31
	योग—ख—सामाजिक सेवाएं	39,411.94	7,074.24	215.90	46,702.08

¹ उपक्षेत्र शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति के अंतर्गत सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाएं तथा कला एवं संस्कृति हेतु पृथक राजस्व व्यय मुख्यशीर्ष है, किन्तु इन राजस्व मुख्यशीर्षों हेतु एक ही पूंजीगत मुख्यशीर्ष—4202—शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय है। इन चार मुख्यशीर्षों के पूंजीगत व्यय मुख्यशीर्ष—4202 के अन्तर्गत उप मुख्यशीर्ष स्तर पर दर्ज किये जाते हैं। वर्ष 2023-24 में इन शीर्षों में क्रमशः ₹ 1,223.57 करोड़, ₹ 122.19 करोड़, ₹ 15.09 करोड़ तथा ₹ 0.05 करोड़ राशि दर्ज किये गये हैं।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क-कार्यात्मक व्यय—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—				
ग.1	कृषि तथा संबद्ध क्रिया—कलाप				
	फसल कृषि कर्म	24,536.69	1.74	0.00	24,538.43
	मृदा तथा जल संरक्षण	267.95	17.77	0.00	285.72
	पशुपालन	429.94	1.65	0.00	431.59
	मछली पालन	161.38	1.72	0.00	163.10
	वनिकी तथा वन्य प्राणी	1,534.15	33.04	0.00	1,567.19
	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	5,621.76	1.35	0.00	5,623.11
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	229.83	59.42	45.60	334.85
	सहकारिता	314.30	69.82	50.00	434.12
	अन्य कृषि कार्यक्रम	16.97	0.00	0.00	16.97
ग.2	ग्राम विकास				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	644.52	0.00	0.00	644.52
	ग्राम रोजगार	1,290.16	0.00	0.00	1,290.16
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,583.51	929.02	0.00	3,512.53
ग.3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
ग.4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
	वृहद सिंचाई	101.48	450.86	0.00	552.34
	मध्यम सिंचाई	409.97	125.98	0.00	535.95
	लघु सिंचाई	76.22	861.32	0.00	937.54
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	0.00	49.87	0.00	49.87
ग.5	ऊर्जा				
	बिजली	6,490.37	623.43	0.00	7,113.80
	नई तथा अक्षय ऊर्जा	54.80	625.15	0.00	679.95
ग.6	उद्योग तथा खनिज				
	ग्राम तथा लघु उद्योग	224.39	68.12	0.00	292.51
	उद्योग	305.56	0.00	0.00	305.56
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	578.45	0.96	0.00	579.41
ग.7	परिवहन				
	नागर विमानन	0.43	0.82	0.00	1.25
	सड़क तथा सेतु	1,726.43	3,467.00	0.00	5,193.43
	सड़क परिवहन	0.00	7.19	0.00	7.19
ग.8	संचार				
	अन्य संचार सेवाएं	56.47	0.00	0.00	56.47

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—समाप्त				
ग.9	विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.51	3.06	0.00	15.57
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	26.50	0.00	0.00	26.50
	पर्यटन	55.58	60.97	0.00	116.55
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	32.23	0.00	0.00	32.23
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.89	0.19	0.00	9.08
	योग—ग—आर्थिक सेवाएं	47,791.44	7,460.45	95.60	55,347.49
घ	सहायता अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,297.57	0.00	0.00	1,297.57
	योग—घ—सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,297.57	0.00	0.00	1,297.57
ड.	लोक ऋण—				
	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	23,873.11	23,873.11
	केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00	239.85	239.85
	योग—ड—लोक ऋण	0.00	0.00	24,112.96	24,112.96
च	अंतर्राज्यीय परिशोधन—	0.00	0.00	0.46	0.46
छ	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग—समेकित निधि व्यय	1,14,740.96	15,418.93	24,424.92	1,54,584.81

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

ख—व्यय का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2023-24			2022-23			2021-22		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	14—सहायक अनुदान	49,556.05	10.00	49,566.05	26,947.30	0.00	26,947.30	22,163.89	0.00	22,163.89
2	35—ब्याज/ऋण अदायगी	7,357.93 ²	24,285.76 ³	31,643.69	6,692.19	116.25	6,808.44	6,404.52	53.99	6,458.51
3	01—वेतन भत्ते, आदि	27,260.76	64.14	27,324.90	24,606.62	71.99	24,678.61	22,560.92	78.50	22,639.42
4	13—आर्थिक सहायता	10,796.88	0.00	10,796.88	8,306.28	0.00	8,306.28	6,565.30	0.00	6,565.30
5	12—पेंशन एवं हितलाभ	8,839.95	0.00	8,839.95 ⁴	7,643.77	0.00	7,643.77	7,450.26	0.00	7,450.26
6	97—निर्माण कार्य	0.00	4,874.84	4,874.84	0.00	4,481.17	4,481.17	1.39	3,938.76	3,940.15
7	26—वृहद निर्माण कार्य	0.00	4,768.58	4,768.58	0.00	4,863.53	4,863.53	0.00	3,516.25	3,516.25
8	45—पूंजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	0.00	3,597.45	3,597.45	0.00	2,840.61	2,840.61	0.00	2,227.04	2,227.04
9	37—अंतः लेखा अन्तरण	2,730.00	0.46	2,730.46	1,635.19	0.00	1,635.19	1,587.42	0.00	1,587.42
10	27—लघु निर्माण कार्य	715.88	1,914.37	2,630.25	450.16	626.23	1,076.39	374.21	657.49	1,031.70
11	25—सामग्री और पूर्तियाँ	2,341.31	0.69	2,342.00	3,501.32	0.22	3,501.54	3,140.64	1.50	3,142.14
12	24—अनुरक्षण कार्य	1,076.60	4.38	1,080.98	878.84	0.00	878.84	939.95	0.09	940.04
13	02—मजदूरी	1,079.66	0.01	1,079.67	1,185.58	0.01	1,185.59	980.41	0.00	980.41
14	04—कार्यालय व्यय	979.85	12.27	992.12	881.81	6.87	888.68	756.68	1.23	757.91
15	11—छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ	967.76	0.00	967.76	610.66	0.00	610.66	750.78	0.00	750.78
16	09—विज्ञापन एवं प्रचार	752.55	0.00	752.55	406.39	0.00	406.39	252.32	0.00	252.32
17	30—अंशदान	727.47	0.00	727.47	1,058.08	0.00	1,058.08	345.89	0.00	345.89
18	42—बीमा	710.34 ⁵	0.00	710.34	781.75	0.00	781.75	696.30	0.00	696.30

² इसमें मुख्यशीर्ष 2049 (₹ 6,798.34 करोड़) एवं मुख्यशीर्ष 2210 (₹ 7.23 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज ₹ 6,805.57 करोड़ के ब्याज भुगतान पर व्यय तथा मुख्यशीर्ष 2216 (₹ 151.57 करोड़), मुख्यशीर्ष 2217 (₹ 43.44 करोड़), मुख्यशीर्ष 2801 (₹ 357.35 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज ₹ 552.36 करोड़ के मूलधन के पुनर्भुगतान सम्मिलित है।

³ यह राशि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्राप्त ₹ 195.00 करोड़ एवं ₹ 800.00 करोड़ के ऋण पर राज्य शासन द्वारा किये गये मूलधन के भुगतान ₹ 7.50 करोड़ एवं ₹ 60.84 करोड़, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त ₹ 800.00 करोड़ के ऋण के लिए ₹ 35.46 करोड़, दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा राज्य शासन की ₹ 64.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरुद्ध प्राप्त ऋण के लिए ₹ 14.00 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम मर्यादित द्वारा ₹ 5,225.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरुद्ध प्राप्त ऋण के लिए ₹ 55.00 करोड़ तथा ₹ 24,112.96 करोड़ लोक ऋण के पुनर्भुगतान को दर्शाती है।

⁴ मुख्यशीर्ष 2071 के अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, आदि के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि ₹ 8,839.08 करोड़ एवं मुख्यशीर्ष 2235 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन की राशि ₹ 0.87 करोड़ सम्मिलित है।

⁵ इसमें मुख्यशीर्ष 2052 (₹ 0.28 करोड़), 2055 (₹ 8.23 करोड़), 2202 (₹ 4.72 करोड़), 2204 (₹ 0.01 करोड़), 2401 (₹ 696.87 करोड़) एवं 2405 (₹ 0.23 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण-जारी

ख-व्यय का स्वरूप-जारी

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2023-24			2022-23			2021-22		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
19	10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	541.04	5.40	546.44	447.46	3.59	451.05	394.12	1.77	395.89
20	07-कार्य भारित / आकस्मिकता स्थापना	408.49	54.94	463.43	360.71	45.64	406.35	353.44	44.50	397.94
21	36-कर्ज तथा अग्रिम	0.00	311.50	311.50
22	28-मशीन और उपकरण	12.04	292.64	304.68	25.43	359.87	385.30	154.87	181.91	336.78
23	43-निर्वाचन व्यय	177.92	0.00	177.92	9.00	0.00	9.00	39.59	0.00	39.59
24	31-क्षतिपूर्ति	23.54	142.69	166.23	24.24	38.45	62.69	28.60	40.49	69.09
25	34-वाहनों का क्रय	26.89	96.80	123.69	37.50	46.54	84.04	1.12	32.11	33.23
26	32-निवेश	0.00	89.26	89.26	0.00	133.11	133.11	0.00	63.78	63.78
27	03-यात्रा भत्ता	78.08	1.47	79.55	74.45	1.14	75.59	60.09	1.52	61.61
28	18-पारितोषिक	75.63	0.00	75.63	26.59	0.00	26.59	6.93	0.00	6.93
29	05-प्रशिक्षण	71.69	0.00	71.69	33.31	0.00	33.31	40.81	0.00	40.81
30	17-सम्मेलन	57.81	0.00	57.81	36.90	0.00	36.90	28.04	0.00	28.04
31	89-परिवहन व्यय	56.06	0.00	56.06	49.40	0.00	49.40	50.97	0.00	50.97
32	06-सर्वेक्षण	26.71	17.77	44.48	3.01	18.40	21.41	5.47	29.77	35.24
33	22-शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद	38.12	0.00	38.12	25.38	0.00	25.38	29.81	0.00	29.81
34	74-मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	37.35	0.00	37.35	50.42	0.00	50.42	32.37	0.00	32.37
35	29-भूमि एवं भवन की खरीदी	0.00	31.84	31.84	0.00	103.58	103.58	0.00	21.22	21.22
36	15-डिक्री धन का भुगतान	4.68	15.83	20.51	5.42	7.00	12.42	5.09	0.12	5.21
37	08-प्रकाशन	19.19	0.00	19.19	10.34	0.00	10.34	14.17	0.00	14.17
38	19-गोपनीय सेवा व्यय	17.45	0.00	17.45	17.68	0.00	17.68	15.45	0.00	15.45
39	86-कोचिंग / प्रतियोगितायें	14.26	0.00	14.26	8.84	0.00	8.84	8.56	0.00	8.56
40	63-स्टॉक	13.24	0.00	13.24	5.55	0.00	5.55	10.91	0.00	10.91
41	50-मंत्री के मोटर गाड़ियों हेतु पेट्रोल	10.45	0.00	10.45	8.84	0.00	8.84	6.93	0.00	6.93
42	55-जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान	8.34	0.00	8.34	8.90	0.00	8.90	8.88	0.00	8.88
43	72-साज सज्जा पर व्यय	5.86	0.00	5.86	2.40	0.00	2.40	6.22	0.00	6.22

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—समाप्त

ख—व्यय का स्वरूप—समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2023-24			2022-23			2021-22		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
44	57—आतिथ्य व्यय	4.92	0.00	4.92	3.92	0.00	3.92	3.70	0.00	3.70
45	33—औजार एवं सयंत्र	3.49	0.03	3.52	5.74	0.02	5.76	3.89	0.03	3.92
46	52—सुसज्जित आवासो हेतु बिजली एवं पानी	2.56	0.00	2.56	2.54	0.00	2.54	2.56	0.00	2.56
47	49—दैनिक भत्ते	1.77	0.00	1.77	1.92	0.00	1.92	1.48	0.00	1.48
48	90—पारिश्रमिक	1.67	0.00	1.67	1.71	0.00	1.71	7.42	0.00	7.42
49	48—निर्वाचन भत्ता	1.65	0.00	1.65	1.57	0.00	1.57	1.00	0.00	1.00
50	69—गैर शासकीय मानदेय	0.91	0.00	0.91	0.84	0.00	0.84	0.82	0.00	0.82
51	21—साक्षियों पर व्यय	0.48	0.00	0.48	0.56	0.00	0.56	0.47	0.00	0.47
52	85—जॉच एवं अनुसंधान	0.07	0.00	0.07	0.03	0.00	0.03	0.04	0.00	0.04
53	40—घटाइयें—पुर्नप्राप्तियाँ	(-)2,826.42	(-)749.27	(-)3,575.69	(-)1,591.51	(-)443.92	(-)2,035.43	(-)1,284.69	(-)387.85	(-)1,672.54
54	98—एस.एन.ए. मॉडल के अंतर्गत समायोजन	(-)67.97	0.00	(-)67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग		1,14,740.96	39,843.85	1,54,584.81	85,285.03	13,320.30	98,605.33	75,010.01	10,504.22	85,514.23

टीप : वर्ष 2022-23 एवं 2021-22 का कुल व्यय ₹ 98,605.33 करोड़ और ₹ 85,514.23 करोड़ में क्रमशः 'ऋण तथा अग्रिम' पर ₹ 85.96 करोड़ (2022-23) तथा ₹ 324.06 करोड़ (2021-22) का व्यय, 'लोक ऋण' पर ₹ 9,600.72 करोड़ (2022-23) एवं ₹ 8,845.30 करोड़ (2021-22) का व्यय एवं 'अंतरराज्यीय समाशोधन' पर (-)₹ 0.10 करोड़ (2022-23) एवं (-)₹ 0.25 करोड़ (2021-22) का व्यय सम्मिलित नहीं है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	217.30	706.83	163.67	870.50	(-)24.68
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	5.21	0.11	5.32	(-)76.60
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	528.71	3,378.46	617.00	3,995.46	(+)16.70
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.16	63.63	103.46	167.09	(+)1,167.89
योग-क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		754.64	4,154.13	884.24	5,038.37	(+)17.17
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	505.36	6,074.82	1,360.90	7,435.72	(+)169.29
योग-(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		505.36	6,074.82	1,360.90	7,435.72	(+)169.29
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	719.82	4,499.13	581.30	5,080.43	(-)19.24
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	16.30	0.00	16.30	0.00
योग-(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		719.82	4,515.43	581.30	5,096.73	(-)19.24
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,521.23	6,497.71	3,107.05	9,604.76	(+)23.23
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	120.39	1,073.56	86.85	1,160.41	(-)27.86
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	593.76	7,347.04	1,470.45	8,817.49	(+)147.65
योग (ग)-जलपूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		3,235.38	14,918.31	4,664.35	19,582.66	(+)44.17
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	1.94	0.72	2.66	(+)260.00
योग-(घ)-सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा		0.20	1.94	0.72	2.66	(+)260.00

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त						
(ड)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	491.78	4,779.19	331.69	5,110.88	(-)32.55
योग—(ड)—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		491.78	4,779.19	331.69	5,110.88	(-)32.55
(च)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	16.43	818.06	115.80	933.86	(+)604.81
योग—(च)—समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		16.43	818.06	115.80	933.86	(+)604.81
(छ)	अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा—					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19.86	458.69	19.48	478.17	(-)1.91
योग—(छ)—अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		19.86	458.69	19.48	478.17	(-)1.91
योग—ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		4,988.83	31,566.44	7,074.24	38,640.68	(+)41.80
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—						
(क)	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	24.70	63.88	1.74	65.62	(-)92.96
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	17.33	416.47	17.77	434.24	(+)2.54
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	91.44	1.65	93.09	(+)75.53
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.50	27.92	1.71	29.63	(+)14.00
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	18.64	498.01	33.04	531.05	(+)77.25
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.19	83.47	1.35	84.82	(+)610.53
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	33.85	164.56	59.42	223.98	(+)75.54
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	101.26	378.27	69.83	443.18 ¹	(-)31.04
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00
योग—(क)—कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा		198.41	1,728.25	186.51	1,909.84²	(-)6.00

¹ सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.92 करोड़ की कमी की गई।

² सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.92 करोड़ की कमी की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी						
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	961.77	6,421.10	929.02	7,350.12	(-)3.41
योग—(ख)—ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		961.77	6,421.10	929.02	7,350.12	(-)3.41
(घ) ³	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	321.50	9,235.93	450.86	9,686.79	(+)40.23
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	77.41	2,197.93	125.98	2,323.91	(+)62.74
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	710.78	14,084.02	861.32	14,945.34	(+)21.18
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	471.51	0.00	471.51	0.00
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.94	197.73	49.87	247.60	(+)108.31
योग—(घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		1,133.63	26,187.12	1,488.03	27,675.15	(+)31.26
(ड)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	130.80	7,988.21	623.43	8,611.64	(+)376.63
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	604.89	3,279.86	625.15	3,905.01	(+)3.35
योग—(ड)—ऊर्जा का पूंजीगत लेखा		735.69	11,268.07	1,248.58	12,516.65	(+)69.72
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	53.51	751.79	68.12	819.82 ⁴	(+)27.30
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	46.39	0.00	47.99 ⁵	0.00
4853	अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	4.96	0.96	5.92	(+)380.00
4854	सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00

³ उपक्षेत्र 'ग' विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4551, 4552 एवं 4575 के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

⁴ ग्रामोद्योग विभाग की रिल्वाल्विंग फंड पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 0.09 करोड़ की कमी की गई।

⁵ प्रोफार्मा आधार पर अंतशेष में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य शासन को जारी किये गये ₹ 1.60 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट को राज्य शासन लेखे में अंशपूजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी						
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा—समाप्त					
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	26.35	0.00	26.35	0.00
योग—(च)—उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		53.71	844.84	69.08	915.43⁶	(+)28.62
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	3.13	237.90	0.82	238.72	(-)73.80
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,299.30	42,074.29	3,466.99	45,541.28	(-)19.36
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	7.23	65.54	7.19	72.73	(-)0.55
योग—(छ)—परिवहन का पूंजीगत लेखा		4,309.66	42,377.73	3,475.00	45,852.73	(-)19.37
(ज)	संचार का पूंजीगत लेखा					
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	108.87	845.83	0.00	845.83	(-)100.00
योग—(ज)—संचार का पूंजीगत लेखा		108.87	845.83	0.00	845.83	(-)100.00
(झ)	विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	16.04	3.07	19.11	(+)2.33
योग—(झ)—विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा		3.00	16.04	3.07	19.11	(+)2.33
(ञ)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	72.01	313.42	60.97	374.39	(-)15.33
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	4.07	0.19	4.26	(+)137.50
योग—(ञ)—सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		72.09	317.64	61.16	378.80	(-)15.16
योग—ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		7,576.83	90,006.63	7,460.45	97,463.67⁷	(-)1.54
महायोग		13,320.30	1,25,727.20	15,418.93	1,41,142.72⁷	(+)15.76

⁶ अंतशेष में ₹ 1.51 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य शासन को जारी किये गये शेयर सर्टिफिकेट की राशि ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि कर राज्य शासन लेखे में अंशपूजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया तथा ग्रामोद्योग विभाग की रिल्वाल्विंग फंड पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 0.09 करोड़ की कमी की गई।

⁷ अंतशेष में ₹ 3.41 करोड़ (निवल) की कमी हुई। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य शासन को जारी किये गये शेयर सर्टिफिकेट की राशि ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि कर राज्य शासन लेखे में अंशपूजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया तथा सहकारी समितियों/बैंकों के ₹ 4.92 करोड़ एवं ग्रामोद्योग विभाग की रिल्वाल्विंग फंड के ₹ 0.09 करोड़ के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 5.01 करोड़ की कमी हुई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय से वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के अंत तक राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सरकारी समितियों एवं बैंकों की अंशपूजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 7,320.19 करोड़, ₹ 7,447.77 करोड़ तथा ₹ 7,533.62⁸ करोड़ है।
2. उक्त निवेश से वर्ष 2021-22 में ₹ 3.64 करोड़, वर्ष 2022-23 में ₹ 6.20 करोड़ तथा 2023-24 में ₹ 3.84 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।
3. अन्य जानकारियों विवरण क्रमांक 19—सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण में दिए गए हैं।

⁸ इनमें संयुक्त उपक्रम कम्पनियों "छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित", "छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे मर्यादित" एवं "छत्तीसगढ़ रेलवे निगम मर्यादित" के अंशपूजी में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 25.00 करोड़ का निवेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट में ₹ 1.60 करोड़ की प्रोफार्मा वृद्धि सम्मिलित है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण
(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों¹ का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2024 को शेष	निवल वृद्धि(+)/कमी(-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
					राशि	प्रतिशत	
(क)–लोक ऋण							
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाज़ार कर्ज	59,732.09	32,000.00	5,700.00	86,032.09	(+)26,300.00	(+)44.03	64.12
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	696.18	0.00	87.01	609.17	(-)87.01	(-)12.50	0.45
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	5,263.21	1,587.43	959.22	5,891.42	(+)628.21	(+)11.94	4.39
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	3,063.36	0.00	455.87	2,607.49	(-)455.87	(-)14.88	1.95
विशेष आहरण सुविधा	0.00	16,671.01	16,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00
योग–6003	68,754.84	50,258.44	23,873.11	95,140.17	(+)26,385.33	(+)38.38	70.91
6004–केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
01–योजनेतर कर्ज	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
02–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	2,001.05	0.00	239.85	1,761.20	(-)239.85	(-)11.99	1.31
03–केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
07–1984–85 पूर्व के कर्ज	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
09–राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	13,193.46	3,791.28	0.00	16,984.74 ²	(+)3,791.28	(+)28.74	12.66
योग–6004	15,195.95	3,791.28	239.85	18,747.38	(+)3,551.43	(+)23.37	13.97
योग–लोक ऋण	83,950.79	54,049.72	24,112.96	1,13,887.55²	(+)29,936.76	(+)35.66	84.88

¹ विस्तृत लेखा पृष्ठ क्रमांक 355 से 371 में दिए गए हैं।

² वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भूगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 (₹ 3,109.00 करोड़) एवं 2021–22 (₹ 4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदत्त ₹ 8,074.15 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित हैं।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियों	31 मार्च 2024 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
					राशि	प्रतिशत	
(ख)—अन्य दायित्व—							
लोक लेखा—							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	9,326.98	3,222.13	1,700.40	10,848.71	(+1,521.73	(+16.32	8.09
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	265.27	5,447.45	5,015.24	697.48	(+432.21	(+162.93	0.52
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,006.47	1,845.02	1,511.22	2,340.27	(+333.80	(+16.64	1.74
ब्याज वाली जमा	8.30	40.10	47.23	1.17	(-7.13	(-85.90	0.00
बिना ब्याज वाली जमा	6,138.62	2,808.10	2,542.54	6,404.18	(+265.56	(+4.33	4.77
योग—(ख) अन्य दायित्व	17,745.64	13,362.80	10,816.63	20,291.81	(+2,546.17	(+14.35	15.12
योग—लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	1,01,696.43	67,412.52	34,929.59	1,34,179.36	(+32,482.93	(+31.94	100.00

(ii) विवरण क्रमांक 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. परिशोधन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2006-07 से समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। यह निधि वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार के बकाया दायित्वों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों) के परिशोधन में उपयोग किया जावेगा। इस निधि में राज्य सरकार का अंशदान गत वर्ष के अन्त में कुल शेष दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत रहेगा जिसका स्रोत सामान्य राजस्व या अन्य स्रोत जैसे— विनिवेश से प्राप्त राजस्व, होगा। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा बकाया दायित्वों के परिशोधन हेतु इस निधि का उपयोग नहीं किया गया है। निधि में वर्ष के प्रारंभ तथा वर्ष के अन्त में अवशेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2024 को शेष
समेकित निक्षेप निधि	3,286.94	415.00	0.00	3,701.94

मार्च 2024 के अंत तक निक्षेप निधि का कुल शेष ₹ 3,701.94 करोड़ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

2. **अल्प बचत निधि से कर्ज** : डाक घर में “अल्प बचत योजना” तथा “लोक भविष्य निधि” के संग्रहण से कर्ज का राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य बांटा जाता है। अल्प बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” नाम से एक पृथक निधि वर्ष 1999-2000 में गठित की गई। चौदहवें वित्त आयोग ने अनुशांसा की है कि राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के संचालन से बाहर रखा जाये। इस अनुशांसा के आधार पर केन्द्रीय कैबिनेट ने 18 जनवरी 2017 को “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” के निवेश से सभी राज्यों

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां—जारी

(अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर) को बाहर रखे जाने को अनुमोदन किया तथा राज्य के निवेश केवल 01 अप्रैल 2017 तक के बकाया ऋण के भुगतान तक सीमित रहेगा। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से भारत सरकार से "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" अन्तर्गत कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। वर्ष 2023-24 में ₹ 455.87 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 284.20 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 2,607.49 करोड़ का शेष बकाया था जो कि 31 मार्च 2024 को राज्य शासन की कुल दायित्वों का 1.94 प्रतिशत था। 31 मार्च 2016 तक "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" से प्राप्त किये गये ऋण वित्तीय वर्ष 2038-39 में पूर्ण भुगतान किया जावेगा।

3. **भारत सरकार से कर्ज आदि :** 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार से प्राप्त कर्ज, कुल दायित्वों का 13.96 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से ₹ 3,791.28 करोड़ का कर्ज प्राप्त हुआ। 2023-24 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 239.85 करोड़ के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 259.55 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।
4. **बाजार कर्ज :** बाजार ऋण राशि ₹ 500.00 करोड़ 7.68 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 500.00 करोड़ 7.69 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 700.00 करोड़ 5.09 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023, ₹ 700.00 करोड़ 9.60 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 1,000.00 करोड़ 7.93 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 800.00 करोड़ 8.12 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023, ₹ 700.00 करोड़ 8.02 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023 एवं ₹ 800.00 करोड़ 9.30 प्रतिशत से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2023 को वर्ष 2023-24 के दौरान कर्ज उन्मुक्त किया।
5. **वित्तीय संस्थाओं से कर्ज :** उधारों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे :- भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किए गए कर्ज सम्मिलित हैं।
वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 1,505.13 करोड़) एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (₹ 82.30 करोड़) से ₹ 1,587.43 करोड़ के कर्ज प्राप्त किए एवं ₹ 959.22 करोड़ का पुनर्भुगतान (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) : ₹ 959.20 करोड़ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम : ₹ 0.02 करोड़) किये गए। 31 मार्च 2024 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष ₹ 5,891.42 करोड़ था। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर्जों पर राज्य सरकार ने ₹ 225.28 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। कर्जों के पूर्ण जानकारी विवरण क्रमांक 17 और इसके अनुलग्नक में दिए गए हैं।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां—समाप्त

6. ऋण सेवाएं :

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा ब्याज प्रभारों की निवल राशियां जिन्हे 2023-24 के दौरान राजस्व से पूर्ति किए गए हैं, नीचे दर्शाई गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण		2023-24	2022-23	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,24,736.26	93,277.77	(+)31,458.49
(ख)	अन्य दायित्वों	9,443.10	8,418.66	(+)1,024.44
योग-(i)		1,34,179.36	1,01,696.43	(+)32,482.93
(ii) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि पर	5,989.47	5,852.28	(+)137.19
(ख)	ऑफ बजट दायित्वों	742.15 ³	462.02	(+)280.13
(ग)	अन्य दायित्वों पर	66.72	67.78	(-)1.06
योग-(ii)		6,798.34	6,382.08	(+)416.26
(iii) घटायें -				
(क)	अन्य कर्जों और पेशगियों पर ब्याज	4.49	5.04	(-)0.55
(ख)	रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	26.41	41.70	(-)15.29
योग-(iii)		30.90	46.74	(-)15.84
ब्याज प्रभारों की निवल राशि		6,767.44	6,335.34	(+)432.10
1.	सकल ऋण से सकल ब्याज का प्रतिशत	5.07	6.28	(-)1.21
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज का प्रतिशत ⁴	6.57	6.80	(-)0.23
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज का प्रतिशत	6.54	6.75	(-)0.21

इसके अतिरिक्त "विविध" लेखा से (₹ 144.26 करोड़) ब्याज प्राप्त किये गये। यदि इन्हें भी घटाया जाता तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 6,623.18 करोड़ होता, जो कुल राजस्व का 6.40 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों/कार्पोरेशन में किये गये निवेश से ₹ 3.84 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया गया।

7. ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोजन : वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन द्वारा ऋण में कमी या परिहार हेतु ₹ 415.00 करोड़ का व्यय किया गया है।

³ पाँच संस्थाओं अर्थात् छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन मर्यादित, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ सड़क तथा अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम द्वारा शासकीय प्रत्याभूति के विरुद्ध लिये गये ऋण पर ब्याज को प्रदर्शित करता है जिसका मूलधन एवं ब्याज का भुगतान बजट प्रावधान के माध्यम से करने का दायित्व राज्य शासन द्वारा ग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड की ऋण (मूलधन तथा ब्याज) के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन ने ग्रहण किया तथा आवश्यक बजट प्रावधान किया। वर्ष के दौरान उक्त संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने बजट शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ₹ 742.15 करोड़ का ब्याज भुगतान को दर्ज किया।

⁴ वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,03,508.20 करोड़ है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2023 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस अदा की गई राशि	ऋणों तथा पेशगियों का अपलेखन किया गया	31 मार्च 2024 को बकाया शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)कमी (-) (6-2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सांविधिक निगम	125.00	45.59	0.00	0.00	170.59	45.59	0.00
सरकारी कम्पनियों	163.01	0.00	0.00	0.00	163.01	0.00	5.57
विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
पंचायती राज संस्थाएं	11.88	0.00	0.01	0.00	11.87	(-)0.01	0.00
नगर पालिकायें/नगर परिषद्/नगर निगम	343.44	21.50	0.50	0.00	364.44	21.00	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	227.31	194.40	0.00	0.00	421.71	194.40	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सहकारी संस्थाएं/सहकारी निगम/बैंक	414.66	50.00	24.39	0.00	440.27	25.61	223.70
अन्य	37.02	0.00	0.00	0.00	37.02	0.00	0.47
शासकीय सेवक	5.78	0.00	0.06	0.00	5.72	(-)0.06	0.00
योग-ऋण तथा पेशगियों	1,378.31	311.49	24.96	0.00	1,664.84	286.53	229.74

टीप : 31 मार्च 2024 को बकाया ऋण अवशेष में ₹ 1,664.84 करोड़ में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम को वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान प्रदत्त ₹ 513.71 करोड़ का ऋण सम्मिलित नहीं है। यह ऋण मुख्यशीर्ष 6853 के अन्तर्गत वर्गीकृत है तथा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से प्रतिपूर्ति किया गया है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार—समाप्त

निम्नानुसार प्रकरणों में "शाश्वतकालीन ऋण" स्वीकृत किये गये हैं :-

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	ऋणी संस्था	अनुज्ञप्ति का वर्ष	अनुज्ञप्ति का आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज का दर
इस प्रकार का प्रकरण निरंक है।					

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2023 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2024 को बकाया शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) (6-2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सेवायें							
सरकारी कम्पनियों	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
योग—सामान्य सेवाएं	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवायें							
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	343.33	21.50	0.50	0.00	364.33	21.00	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	227.31	194.40	0.00	0.00	421.71	194.40	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सांविधिक निगमों	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
अन्य	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00
योग—सामाजिक सेवायें	626.55	215.90	0.50	0.00	841.95	215.40	0.00
आर्थिक सेवायें							
पंचायती राज संस्थाएं	11.88	0.00	0.01	0.00	11.87	(-)0.01	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
सांविधिक निगम	124.46	45.59	0.00	0.00	170.05	45.59	0.00
सरकारी कम्पनियों	138.01	0.00	0.00	0.00	138.01	0.00	5.57
सहकारी समितियों / बैंक	414.66	50.00	24.39	0.00	440.27	25.61	223.70
अन्य	31.86	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.47
योग—आर्थिक सेवायें	720.98	95.59	24.40	0.00	792.17	71.19	229.74

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार—समाप्त

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2023 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2024 को बकाया शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) (6-2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आर्थिक सेवायें—समाप्त							
शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियाँ	5.78	0.00	0.06	0.00	5.72	(-)0.06	0.00
योग—शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियाँ	5.78	0.00	0.06	0.00	5.72	(-)0.06	0.00
योग	1,378.31	311.49	24.96	0.00	1,664.84	286.53	229.74

भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2024 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरकारी कम्पनियों					
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	0.00	5.57	5.57	2005-06	0.00
सहकारी समितियाँ/बैंक/शक्कर कारखाना					
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	61.00	41.12	102.12	2018-19	87.00
दन्तेश्वरी मैयया सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	78.57	44.57	123.14	2011-12	92.57
महामाया सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	67.78	85.46	152.24	2010-11	100.78
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	94.00	49.68	143.68	2017-18	120.00
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ (6408)	11.00	1.51	12.51	2019-20	6.73
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—जगदलपुर (6425)	1.06	1.00	2.06	2000-01 के पूर्व	(-)0.01
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—जशपुर (6425)	0.13	0.00	0.13	2000-01 के पूर्व	0.08
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—रायगढ़ (6425)	0.43	0.16	0.59	2000-01 के पूर्व	1.37
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डोंडीलोहारा (6408)	0.01	0.01	0.02	2014-15	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव (6408)	0.02	0.02	0.04	2015-16	0.02

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश—जारी

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2024 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहकारी समितियों/बैंक/शक्कर कारखाना					
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, कोंटा (6408)	0.35	0.11	0.46	2018-19	0.35
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, अकलतरा (6408)	0.15	0.05	0.20	2015-16	0.15
थोक उपभोक्ता भण्डार जगदलपुर (6425)	0.02	0.01	0.03	2006-07	0.02
रायपुर दुग्ध संघ (6403)	1.30	0.00	1.30	2000-01 के पूर्व	1.30
छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मंडल (7452)	5.50	0.00	5.50	2009-10	5.50
अन्य					
मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द (6851)	0.02	0.02	0.04	2016-17	0.02
मेसर्स एम.आई. पालीमर्स, उरला, रायपुर (6851)	0.00	0.03	0.03	2013-14	0.00
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए कर्ज (6202)	0.90	0.00	0.90	2000-01 के पूर्व	0.91
	0.01	0.00	0.01	2000-01 के पश्चात	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज (6210)	0.03	0.00	0.03	2000-01 के पूर्व	0.03
जल पूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज (6215)	26.57	0.00	26.57	2000-01 के पूर्व	26.57
आवास के लिए कर्ज (6216)	49.30	0.00	49.30	2000-01 के पूर्व	49.30
शहरी विकास के लिए कर्ज (6217)	18.64	0.00	18.64	2000-01 के पूर्व	24.50
	5.86	0.00	5.86	2000-01 के पश्चात	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज (6225)	2.71	0.00	2.71	2000-01 के पूर्व	2.71
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज (6235)	1.16	0.00	1.16	2000-01 के पूर्व	1.23
	0.07	0.00	0.07	2000-01 के पश्चात	
प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए कर्ज (6245)	0.83	0.00	0.83	2000-01 के पूर्व	0.83
अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज (6250)	0.91	0.00	0.91	2000-01 के पूर्व	0.91
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज (6401)	20.89	0.00	20.89	2000-01 के पूर्व	24.53
	3.64	0.00	3.64	2000-01 के पूर्व	
मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज (6402)	8.06	0.00	8.06	2000-01 के पूर्व	8.06
पशु पालन के लिए कर्ज (6403)	0.26	0.00	0.26	2000-01 के पूर्व	0.26
डेरी विकास के लिए कर्ज (6404)	0.01	0.00	0.01	2000-01 के पूर्व	0.01
वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज (6406)	12.75	0.00	12.75	2000-01 के पूर्व	12.75

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—समाप्त
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश—समाप्त

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2024 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य—समाप्त					
खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज (6408)	5.13	0.00	5.13	2000-01 के पूर्व	5.13
सहकारिता के लिए कर्ज (6425)	17.24	0.42	17.66	2000-01 के पूर्व	17.24
अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज (6435)	0.03	0.00	0.03	2000-01 के पूर्व	0.03
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज (6515)	0.58	0.00	0.58	2000-01 के पूर्व	0.58
लघु सिंचाई के लिए कर्ज (6702)	0.12	0.00	0.12	2000-01 के पूर्व	0.12
कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज (6705)	0.05	0.00	0.05	2000-01 के पूर्व	0.05
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज (6801)	102.83	0.00	102.83	2000-01 के पूर्व	102.83
ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज (6851)	1.81	0.00	1.81	2000-01 के पूर्व	1.82
	0.01	0.00	0.01	2005-06 के पूर्व	
अलौह तथा धातु-कर्म उद्योग के लिए कर्ज (6853)	0.01	0.00	0.01	2000-01 के पूर्व	0.01
उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज (6860)	1.56	0.00	1.56	2000-01 के पूर्व	1.56
उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्ज (6885)	6.43	0.00	6.43	2000-01 के पूर्व	6.43
सड़क परिवहन के लिए कर्ज (7055)	6.17	0.00	6.17	2000-01 के पूर्व	6.17
पर्यटन के लिये कर्ज (7452)	0.03	0.00	0.03	2000-01 के पूर्व	0.03
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज (7465)	0.01	0.00	0.01	2000-01 के पूर्व	0.01
योग	615.95	229.74	845.69		710.50

टीप : राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्ष 2000-01 के पूर्ववर्ती काल के ऋण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित किये गये हैं।

8. वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2023-24			2022-23		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश
सांविधिक निगम	10	90.29	1.01	10	89.89	1.29
सरकारी कम्पनियों	28	6,782.94 ¹	2.26	28	6,733.34	4.62
संयुक्त स्टॉक कम्पनियों	21	303.72	0.00	21	278.72	0.00
ग्रामीण बैंक	02	25.15	0.00	02	25.15	0.00
सहकारी बैंक एवं समितियाँ	1460	331.51	0.57	1460	320.67	0.29
योग	1521	7,533.61	3.84	1521	7,447.77	6.20

¹ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट के ₹ 1.60 करोड़ सम्मिलित है, जिसे राज्य शासन के अंशपूजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।

9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण

वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों¹ तथा 31 मार्च 2024 को विभिन्न क्षेत्रों में बकाया प्रत्याभूति की राशि निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

क्षेत्रवार प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	31 मार्च 2024 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	वर्ष 2023 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2023)	वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति	निरस्त की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान		2024 के अन्त में बकाया राशि (31.03. 2024)		प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस		अन्य विवरण
					उन्मोचित	अनुन्मोचित	मूलधन	प्राप्य	प्राप्त		
ऊर्जा (4)	2,167.00 ²	1,644.51 ³	291.12	25.00	0.00	0.00	1,910.63	0.00	0.00	निरंक	
सहकारिता (17)	14,856.00	14,139.98 ⁴	643.68 ⁵	1,580.19	0.00	0.00	13,203.47	73.50	0.00	निरंक	
राज्य वित्त निगम (64)	413.30 ⁶	71.32	0.04 ⁷	7.94	0.00	0.00	63.42	0.00	0.00	निरंक	
शहरी विकास तथा आवास (93)	8,137.49 ⁸	3,985.30	93.00 ⁹	260.30	0.00	0.00	3,818.00	2.58	0.00	निरंक	
अन्य (6)	6,089.09 ¹⁰	2,258.60 ¹¹	749.78 ¹²	113.38	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	निरंक	
योग	31,662.88¹³	22,099.71¹⁴	1,777.62	1,986.81	0.00	0.00	21,890.52	76.08	0.00	निरंक	

टीप : इस विवरण में दी गई जानकारी सरकारी कंपनियों/निगमों, सहकारी संस्थाओं (शक्कर कारखाना एवं प्रसंस्करण तथा विपणन समिति मर्यादित) सरकारी प्राधिकरण, सरकारी अभिकरण, आवास बोर्ड इत्यादि द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

- संस्थावार प्रत्याभूति का वर्णन खण्ड-II के विवरण क्रमांक 20 में दर्शाया गया है।
- इसमें नगद ऋण सुविधा से संबंधित ₹ 1,667.00 करोड़ की प्रत्याभूति सम्मिलित है।
- ₹ 1,207.38 करोड़ की वृद्धि। यह राशि 31 मार्च 2023 तक नगद ऋण सुविधा के बकाया शेष से संबंधित है, जिसे वर्ष 2022-23 के दौरान सम्मिलित नहीं किया गया था।
- गारंटी संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक जानकारी के आधार पर ₹ 63.75 करोड़ की कमी की गई।
- वर्ष के दौरान पुरानी प्रत्याभूतियों के विरुद्ध ₹ 643.68 करोड़ का नया ऋण लिया गया है।
- 'शून्य देयता प्रमाण पत्र' प्राप्त होने पर ₹ 26.62 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित की गई।
- वर्ष के दौरान पुरानी प्रत्याभूतियों के विरुद्ध ₹ 0.04 करोड़ का नया ऋण लिया गया है।
- वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ का केनरा बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं वर्ष 2018-19 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने आवासीय भवनों के क्रय हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 195.00 करोड़ के ऋण प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को प्रत्याभूति प्रदान की। अन्य प्रकरण में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को प्रधान मंत्री आवास योजना-हाउसिंग फार ऑल के अन्तर्गत राज्य शासन का हिस्सा के भुगतान हेतु ₹ 3,357.00 करोड़ की प्रत्याभूति जारी किया गया तथा प्रत्याभूति की शर्तें अनुसार प्रत्याभूति के विरुद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 3,357.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 93.00 करोड़ का ऋण लिया गया था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ₹ 3,427.28 करोड़ की प्रत्याभूति जारी किया गया। उक्त प्रत्याभूतियों राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व है एवं ऋण का मूलधन तथा ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।
- वर्ष के दौरान पुरानी प्रत्याभूतियों के विरुद्ध ₹ 93.00 करोड़ का नया ऋण लिया गया है।
- पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने दो वित्तीय संस्थानों इलाहाबाद बैंक (₹ 400.00 करोड़) तथा केनरा बैंक (₹ 400.00 करोड़) से कुल ₹ 800.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को वर्ष 2017-18 में ₹ 800.00 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की। उक्त प्रत्याभूति राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व है एवं ऋण का मूलधन तथा ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इस राशि में छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को दिसम्बर 2020 में जारी ₹ 5,225.00 करोड़ की प्रत्याभूति सम्मिलित है जिसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 749.78 करोड़ का ऋण लिया गया था।
- गारंटी संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक जानकारी के आधार पर ₹ 1.43 करोड़ की कमी की गई।
- वर्ष के दौरान पुरानी प्रत्याभूतियों के विरुद्ध ₹ 749.78 करोड़ का नया ऋण लिया गया है।
- बजट अभिलेख के अनुसार, प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 30,383.88 करोड़ है तथा वित्त लेख के अनुसार ₹ 31,662.88 करोड़ है। अंतर के कारणों को विवरण क्रमांक 20 के व्याख्यात्मक टिप्पणियों में दर्शाया गया है।
- गारंटी संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक जानकारी के आधार पर ₹ 65.18 करोड़ की कमी की गई।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम	वर्ष 2023-24 में सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि			कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि		
	(1)	(2)		(3)		
	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्षे.यो. सहित)	योग	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्षे.यो. सहित)	योग
1. पंचायती राज संस्थायें	6,676.70	2,793.83	9,470.53	508.84	0.00	508.84
(i) जिला पंचायत	1,768.63	2,535.23	4,303.86	0.00	0.00	0.00
(ii) जनपद पंचायत	327.05	0.00	327.05	0.00	0.00	0.00
(iii) ग्राम पंचायत	4,581.02	258.60	4,839.62	508.84	0.00	508.84
2. शहरी स्थानीय निकाय	3,707.58	704.60	4,412.18	1,051.25	0.00	1,051.25
(i) नगर निगम	2,061.36	494.96	2,556.32	483.73	0.00	483.73
(ii) नगर पालिका परिषद	748.67	128.84	877.51	281.48	0.00	281.48
(iii) नगर पंचायत	897.55	80.80	978.35	286.04	0.00	286.04
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,575.90	6.25	1,582.15	808.91	0.00	808.91
(i) शासकीय कम्पनियों	1,552.57	0.00	1,552.57	808.91	0.00	808.91
(ii) साविधिक निगम	23.33	6.25	29.58	0.00	0.00	0.00
4. स्वशासी निकाय	1,212.24	442.63	1,654.87	128.27	56.03	184.30
(i) विश्वविद्यालय	675.07	381.14	1,056.21	1.90	0.00	1.90
(ii) विकास प्राधिकरण	461.25	56.03	517.28	126.37	56.03	182.40
(iii) सहकारी संस्थाएं	68.35	5.46	73.81	0.00	0.00	0.00
(iv) अन्य	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
5. अशासकीय संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. अन्य (सरल क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त)	32,117.29	3,926.48	36,043.77 ¹	1,007.76	98.99	1,106.75
योग	45,289.71	7,873.79	53,163.50 ²	3,505.03	155.02	3,660.05 ³

¹ सहायता अनुदान में आयोग (₹ 12.61 करोड़), महाविद्यालय (₹ 124.50 करोड़), मण्डल (₹ 110.47 करोड़), सहकारी समितियों के अलावा समितियों (₹ 969.49 करोड़), एसोसिएशन (₹ 3.33 करोड़), वैयक्तिक अनुदान (₹ 2,339.44 करोड़), जल समितियों (₹ 5.75 करोड़), अशासकीय संगठन (₹ 27.78 करोड़), अकादमी (₹ 9.58 करोड़), सरकारी संगीत स्कूल (₹ 0.40 करोड़), अभिकरण (₹ 1,216.43 करोड़), फाउन्डेशन (₹ 0.04 करोड़), संघ (₹ 0.63 करोड़), विद्यालय (₹ 531.72 करोड़), परिषद (₹ 17.06 करोड़), संस्थाएं (₹ 5.71 करोड़), केन्द्र (₹ 53.64 करोड़), कमेटी (₹ 10.40 करोड़), पशुपालन अस्पताल एवं औषधालय (₹ 1.60 करोड़), मिशन (₹ 3,470.06 करोड़), मत्स्य सहकारी समितियों (₹ 4.23 करोड़), स्वयं सहायता समूह (₹ 9.07 करोड़), पूजारी एवं सेवादार (₹ 0.25 करोड़), वन प्रबंधन समितियों (₹ 0.44 करोड़) एवं अन्य (₹ 27,075.58 करोड़) सम्मिलित है।

² उद्देश्य शीर्ष 14-सहायता अनुदान (₹ 49,566.05 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 45-पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण (₹ 3,597.45 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित किये गये हैं।

³ उद्देश्य शीर्ष 45-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण (₹ 3,597.45 करोड़), उद्देश्य शीर्ष 14-004 अधोसंरचना अनुदान (₹ 0.79 करोड़) एवं पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु मुख्य शीर्ष 2055-14-002 विकास अनुदान के अन्तर्गत दर्ज व्यय (₹ 51.81 करोड़) तथा पूंजीगत मुख्य शीर्ष 4210 (₹ 10.10 करोड़) सम्मिलित हैं। उपरोक्त दर्शाये गये उद्देश्य शीर्ष 45 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 3,597.45 करोड़ व्यय में लघुशीर्ष 191 से 193 तथा 196 से 198 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 1,508.84 करोड़ का व्यय शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किया गया जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण-समाप्त

(ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		वर्ष 2023-24 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूँजीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य
(1)		(2)	(3)
1.	पंचायती राज संस्थायें	0.00	0.00
2.	शहरी स्थानीय निकाय	0.00	0.00
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00
4.	स्वशासी निकाय	0.00	0.00
5.	अशासकीय संगठन	0.00	0.00
6.	अन्य :		
	मु.शी. 2202-02-109-5551 हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	66.77	0.00
	मु.शी. 2403-00-101-8898 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को निःशुल्क पशु वितरण	9.76	0.00
	मु.शी. 2403-00-106-5260 उन्नत प्रजनन की सुविधा के विस्तार हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा विहीन ग्रामों में हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सांड वितरण	0.73	0.00
	मु.शी. 2403-00-101-4082 विशेष पशुपालन कार्यक्रम	2.71	0.00
	मु.शी. 2403-00-103-846 अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को निःशुल्क कुक्कुट वितरण	5.17	0.00
	मु.शी. 2851-00-104-6913 कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना	2.20	0.00
योग		87.34	0.00

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2023-24			2022-23		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	7,111.34	1,07,629.62	1,14,740.96	6,883.38	78,401.65	85,285.03
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	28.64	15,390.29	15,418.93	14.79	13,305.51	13,320.30
लोक ऋण, कर्ज तथा पेशगियां, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत भुगतान तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण (क)	24,112.96	311.96	24,424.92	9,600.72	85.86	9,686.58
योग	31,252.94	1,23,331.87	1,54,584.81	16,498.89	91,793.02	1,08,291.91
(क) ये आंकड़े निम्नवत निकाले गए हैं :-						
लोक ऋण -						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	23,873.11	0.00	23,873.11	9,370.39	0.00	9,370.39
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशगियां	239.85	0.00	239.85	230.33	0.00	230.33
कर्ज तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	215.90	215.90	0.00	35.96	35.96
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	95.60	95.60	0.00	50.00	50.00
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज, आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.46	0.46	0.00	(-)0.10	(-)0.10
आकस्मिकता निधि को अन्तरण						
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	24,112.96	311.96	24,424.92	9,600.72	85.86	9,686.58

* विस्तृत लेखा विवरण क्रमांक 18-“सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण” पृष्ठ क्रमांक 372 से 409 में दिया गया है। वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के कुल व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार था :

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2022-23	15.24	84.76
2023-24	20.22	79.78

12. वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
पूँजीगत और अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
अन्य सामान्य सेवाएं	775.67	267.24	1,042.91 ^क
लोक निर्माण	3,566.46	710.77 ¹	4,277.23
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	6,074.82	1,360.90	7,435.72
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4,515.43	581.30	5,096.73
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	14,918.31	4,664.35	19,582.66
सूचना तथा प्रसारण	1.94	0.72	2.66
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,779.19	331.69	5,110.88
समाज कल्याण तथा पोषण	818.06	115.80	933.86
अन्य समाज सेवाएं	458.69	19.48	478.17
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	1,728.25	186.51	1,909.84 ²
ग्राम विकास	6,421.10	929.02	7,350.12
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	26,187.13	1,488.03	27,675.16
ऊर्जा	13,080.46	1,598.77 ³	14,679.23
उद्योग तथा खनिज	2,315.96 ⁴	99.77 ⁵	2,415.64 ⁶
परिवहन	43,917.37	3,749.62 ⁷	47,666.99
अन्य संचार सेवाएं	845.83	0.00	845.83
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	16.04	3.07	19.11
सामान्य आर्थिक सेवाएं	317.64	61.16	378.80
योग-पूँजीगत व्यय	1,30,738.35	16,168.20	1,46,901.54⁸

क. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 870.50 करोड़), लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 5.32 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 167.09 करोड़) सम्मिलित है।

- 1 यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 93.77 करोड़ का व्यय अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि (8229-200) से प्रतिपूरित किया गया है।
- 2 सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.92 करोड़ कमी की गई।
- 3 यह सकल आंकड़े हैं। ₹ 350.19 करोड़ का व्यय की राशि जो मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 299.29 करोड़) एवं 4810 (₹ 50.90 करोड़) में दर्ज है, विद्युत विकास निधि (8229-110) से प्रतिपूरित किया गया है।
- 4 प्रारंभिक शेष में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य शासन को जारी किये गये ₹ 1.60 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट के रूप में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई जिसे राज्य शासन लेखे में अंशपूँजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।
- 5 यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 30.69 करोड़ का व्यय छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि (8229-200) से प्रतिपूरित किया गया है।
- 6 ग्रामोद्योग विभाग की रिल्वालिंग फंड पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 0.09 करोड़ की कमी की गई।
- 7 यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 5054 में दर्ज ₹ 274.62 करोड़ का व्यय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (₹ 272.68 करोड़) (8449-103) तथा अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि (₹ 1.94 करोड़) (8229-200) से प्रतिपूरित किया गया है।
- 8 सहकारी समितियों एवं बैंकों (₹ 4.92 करोड़) एवं ग्रामोद्योग विभाग की रिल्वालिंग फंड (₹ 0.09 करोड़) की पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 5.01 करोड़ कमी की गई।

12. वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
पूँजीगत और अन्य व्यय-जारी			
ऋण एवं अग्रिम			
सामान्य सेवाएं			
विविध सामान्य सेवाएं	25.00	0.00	25.00
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	0.91	0.00	0.91
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.03	0.00	0.03
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	619.93	215.40	835.33
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.71	0.00	2.71
समाज कल्याण तथा पोषण	2.06	0.00	2.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.91	0.00	0.91
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	595.63	71.20	666.83
ग्राम विकास	0.58	0.00	0.58
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.17	0.00	0.17
ऊर्जा	102.83	0.00	102.83
उद्योग तथा खनिज	10.07	0.00	10.07
परिवहन	6.17	0.00	6.17
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.53	0.00	5.53
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	5.78	(-)-0.06	5.72
योग-ऋण एवं अग्रिम	1,378.31	286.54	1,664.85
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
योग-पूँजीगत और अन्य व्यय	1,32,116.66⁹	16,454.74	1,48,566.39¹⁰
घटाएं-आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
घटाएं-विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	84.45	5.01	89.46
घटाएं-अधोसंरचना एवं पर्यावरण विकास उपकर निधि से अंशदान			
मुख्यशीर्ष 4059	188.00	93.77	281.77
मुख्यशीर्ष 5054	209.68	1.94	211.62

⁹ प्रारंभिक शेष में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य शासन को जारी किये गये ₹ 1.60 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट के रूप में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे राज्य शासन लेखे में अंशपूँजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।

¹⁰ सहकारी समितियों एवं बैंकों (₹ 4.92 करोड़) तथा ग्रामोद्योग विभाग (₹ 0.09 करोड़) की पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 5.01 करोड़ कमी की गई।

12. वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
पूँजीगत और अन्य व्यय-समाप्त			
घटाएँ-विद्युत विकास निधि से अंशदान	1,812.39	350.19 ¹¹	2,162.58
घटाएँ-छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम से अंशदान	1,469.52	30.69	1,500.21
घटाएँ-केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अंशदान	1,329.96	272.68	1,602.64
निवल पूँजीगत और अन्य व्यय	1,27,022.66¹²	15,700.46	1,42,718.11¹³

¹¹ मुख्यशीर्ष 4801 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 299.29 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 4810 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 50.90 करोड़ का व्यय निधि से प्रतिपूरित किया गया है।

¹² प्रारंभिक शेष में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य शासन को जारी किये गये ₹ 1.60 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट के रूप में ₹ 1.60 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे राज्य शासन लेखे में अंशपूँजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।

¹³ सहकारी समितियों एवं बैंकों (₹ 4.92 करोड़) तथा ग्रामोद्योग विभाग (₹ 0.09 करोड़) की पूँजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 5.01 करोड़ कमी की गई।

12. वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
निधियों का मुख्य स्रोत			
(i) जोड़े-पूँजी निवृत्ति/विनिवेश का समायोजन	(-84.45	0.00	(-89.46 ¹⁴
(ii) ऋण-			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	68,754.84	26,385.33	95,140.17
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगिर्यो	15,195.95	3,551.43	18,747.38 ¹⁵
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि,	9,326.98	1,521.73	10,848.71
योग (ii)-ऋण	93,277.77	31,458.49	1,24,736.26
(iii) अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	100.00	(-)13.47	86.53
जमा एवं अग्रिम	6,139.92	258.33	6,398.25
उचंत एवं विविध (शासकीय लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखे को बन्द अतिरिक्त राशि)	226.37	(-)56.85	169.52
आरक्षित निधियाँ	9,606.04	1,088.66	10,694.70
प्रेषण	(-)298.66	(-)52.84	(-)351.50
योग-(iii)-अन्य दायित्व	15,773.67	1,223.83	16,997.50
योग-(ii)+(iii) ऋण एवं अन्य दायित्व	1,09,051.44	32,682.32	1,41,733.76
(iv) घटाएं-रोकड़ शेष	215.63	(-)21.23	194.40
(v) घटाएं-निवेश	7,819.91	5,770.52	13,590.43 ¹⁶
(vi) घटाएं- आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
योग-(i)+(ii)+(iii)-(iv)-(v)-(vi)	1,00,931.45	26,933.03	1,27,859.47^(क)
घटाएं : राजस्व घाटा/जोड़े : राजस्व आधिक्य	..	(-)11,232.76	..
घटाएं : अंतर्राज्यीय समाशोधन	..	(-)0.19	..
निधियों का निवल प्रावधान	..	15,700.46	..

¹⁴ सहकारी समितियों एवं बैंकों के ₹ 4.92 करोड़ की पूँजी निवृत्ति तथा ग्रामोद्योग विभाग का ₹ 0.09 करोड़ का विवरण को संतुलित करने हेतु सम्मिलित किया गया है।

¹⁵ वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020-21 (₹ 3,109.00 करोड़) एवं 2021-22 (₹ 4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदत्त ₹ 8,074.15 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित है।

¹⁶ रोकड़ शेष निवेश ₹ 5,933.48 करोड़ एवं उद्विष्ट निधियों से निवेश ₹ 7,656.95 करोड़ सम्मिलित है।

**12. वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-जारी**

(क) ₹ 5.01 करोड़ की पूंजी निवृत्ति के समायोजन के कारण ₹ 1,27,859.47 करोड़ (₹ 1,00,931.45 करोड़ (+) ₹ 26,933.03 करोड़) से ₹ 5.01 करोड़ का अंतर है। 31 मार्च 2024 तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय (₹ 1,42,718.11 करोड़) तथा निधियों का निवल प्रावधान (₹ 1,27,859.47 करोड़) के मध्य ₹ 14,858.64 करोड़ का अन्तर है, जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :-

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1.	वर्ष 2000-01 से 2023-24 तक संचयी राजस्व आधिक्य	13,275.91
2.	सामान्य भविष्य निधि शेष इत्यादि से संबंधित वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानान्तरण का निवल प्रभाव	(-)2,910.34
3.	जोड़े-वर्ष 2011-12 के दौरान शीर्ष 8229-200 में पंचायत एवं भू राजस्व अधिभार तथा स्टाम्प ड्यूटी निधि में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	118.00
4.	जोड़े-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से अंशपूंजी के प्रोफार्मा स्थानान्तरण के कारण पूंजीगत व्यय के "कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप" उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	
	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम (2012-13)	6.55
	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम (2017-18)	1.52
5.	जोड़े-वर्ष 2013-14 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वन उत्पाद संघ के ऋणों के प्रोफार्मा स्थानान्तरण के कारण ऋण के "कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप" उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
6.	घटाएं-वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत व्यय के उप क्षेत्र "ऊर्जा" में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.03
	जोड़े-वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के पूंजीगत व्यय में प्रोफार्मा वृद्धि	
	मुख्य शीर्ष 4055-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऋणों को पूंजीगत व्यय में समायोजन	10.57
7.	वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 4055-छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान को अंशपूंजी निवेश में समायोजन	2.00
	वर्ष 2015-16 एवं 2018-19 में मुख्य शीर्ष 4801-छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स को राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन	4,475.90
	मुख्य शीर्ष 4852-छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स को वर्ष 2023-24 में राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन	1.60
8.	मुख्य शीर्ष 5054-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा अविभाजित अवधि से संबंधित व्यय के स्थानान्तरण के कारण	12.83
9.	मुख्य शीर्ष 4225-वर्ष 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के ऋण को अंशपूंजी में समायोजन	0.50
10.	मुख्य शीर्ष 4217-वर्ष 2017-18 के दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम-अटल नगर विकास प्राधिकरण) के ऋण को पूंजीगत व्यय में समायोजन	438.00
11.	वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय का प्रोफार्मा अंतरण	(-)2.47

**12. वर्ष 2023-24 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण-समाप्त**

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
12.	वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	0.35
13.	घटाएं-वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 के दौरान "ऋण एवं अग्रिम" क्षेत्र-च में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	
	मुख्य शीर्ष 6216-ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2015-16)	10.57
	मुख्य शीर्ष 6425-ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015-16)	10.51
	मुख्य शीर्ष 6852-ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015-16)	22.96
	मुख्य शीर्ष 6217-ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2017-18)	438.00
	मुख्य शीर्ष 6225-ऋणों को अंशपूंजी में रूपान्तरण (2017-18)	0.50
14.	जोड़ें- वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय एवं पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	2.12
15.	जोड़ें-वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र "ऊर्जा" में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.03
16.	जोड़ें-वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र "कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप" में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
17.	जोड़ें-वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र "ऊर्जा" में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	(-)168.92
18.	घटाएं-वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के "शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति" उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	4.00
19.	जोड़ें-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से ऋण राशि प्राप्त होने के कारण मुख्य शीर्ष 7610 के अन्तर्गत में प्रोफार्मा वृद्धि	
	2009-10	0.82
	2011-12	0.36
	2016-17	10.21
	2017-18	6.74
20.	घटाएं-वर्ष 2008-09 तक आकस्मिकता निधि का मुख्य निधियों के अनुप्रयोग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण दर्शाया जाना	40.00
21.	घटायें-वर्ष 2018-19 तक विविध शासकीय लेखे को बंद राशि	152.56
22.	घटायें-वर्ष 2000-01 से 2023-24 तक प्रगामी अन्तर्राज्यीय समाशोधन	26.48
23.	घटायें-त्र-वर्ष 2016-17 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य आपदा राहत निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	(-)278.65
24.	घटायें-त्र-वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास उपकर निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण	(-)14.90
25.	घटायें-वर्ष 2021-22 के दौरान लोक ऋण के अन्तर्गत प्रोफार्मा कमी	(-)48.32
26.	घटायें-ट-जमा तथा अग्रिम अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
27.	घटायें-ट-ऋण तथा अग्रिम-जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
28.	घटायें-वर्ष 2016-17 आकस्मिकता निधि को विनियोजन	60.00
	योग	14,858.64

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क – 31 मार्च 2024 को शेष का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
1,26,284.08	क से घ, छ, ज और ठ का भाग (मु.शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखे	..
..	ड.	लोक ऋण	1,13,887.55 ¹
1,664.85	च	कर्जे और पेशगियां	..
		आकस्मिकता निधि	
..		आकस्मिकता निधि	86.53
		लोक लेखा	
..	झ	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	10,848.71
	ञ	आरक्षित निधियाँ	
..		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	697.48
..		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	9,997.22
		सकल शेष	10,694.70
7,656.95		निवेश	
	ट	जमा और पेशगियाँ	
..		ब्याज वाली जमा	1.17
..		बिना ब्याज वाली जमा	6,404.18
7.10		पेशगियां	..
	ठ	उचन्त और विविध	
5,933.48		निवेश	..
..		अन्य मदे	169.52
351.50	ड	प्रेषण	..
194.40	ढ	रोकड़ शेष	..
1,42,092.36		योग	1,42,092.36

¹ वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ 3,109.00 करोड़) एवं 2021-22 (₹ 4,965.15 करोड़) प्रदत्त ₹ 8,074.15 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश—समाप्त

मार्च 2024 के लेखा समाप्ति के उपरांत लेखे में दर्शाए गए आंकड़े ₹ 194.40 करोड़ (नामे) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किये गए 'रिजर्व बैंक में जमा' ₹ 164.77 करोड़ (जमा) के मध्य निवल ₹ 29.63 करोड़ (नामे) का अंतर है, जिसे रोकड़ शेष में सम्मिलित किया गया है।

ख सरकारी लेखा—सरकारी लेखाओं में बही खाता रखने के सिद्धान्त के अनुपालन में राजस्व, पूंजीगत शीर्ष और सरकार के अन्य लेन-देनों के अन्तर्गत अंकित की गई राशियां जिनके शेष वर्षानुवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते, उन्हें एक शीर्ष में बंद किए जाते हैं जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होता है वह सभी लेन-देनों का संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इस शेष में लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया गया है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गए लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब से न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तिया जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते हैं और न ही उपार्जित देय राशियां या बकाया देयताये जिन्हे सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नगद आधार की लेखाविधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाता।

वर्ष के अंत में शासकीय लेखे के नामे में निवल राशि निम्नानुसार संगणित की गई है :

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण		जमा
99,637.59	क	1 अप्रैल 2023 को सरकारी लेखे का नामे शेष	..
..	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,03,508.20
..	ग	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	5.01
1,14,740.96	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	..
15,418.93	ड.	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	..
..	च	उचंत तथा विविध (विविध शासकीय लेखा)	..
0.46	छ	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.65
..	ज	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
..	झ	31 मार्च 2023 को शासकीय लेखे में नामे राशि	1,26,284.08
2,29,797.94	योग		2,29,797.94

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां

1. विशिष्ट लेखाकरण पद्धति का सारांश –

(i) **रिपोर्टिंग अस्तित्व** : यह लेखे छत्तीसगढ़ शासन के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्ति एवं संवितरण के लेखे 34 कोषालयों (5 उप-कोषालयों को कोषालयों में उन्नत किया गया) 157 लोक निर्माण संभागों, 55 वन संभागों (2023-24 के दौरान दो नवीन संभाग बनाये गये), 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, अन्य भुगतान तथा लेखा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समायोजन सूचनाओं के आधार पर संकलित किया गया है। वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को अपवर्जित नहीं रखा गया है।

(ii) **रिपोर्टिंग अवधि** : इन लेखे की रिपोर्टिंग अवधि 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है।

(iii) **रिपोर्टिंग मुद्रा** : छत्तीसगढ़ शासन के लेखे भारतीय रुपये (₹) में प्रतिवेदित किए जाते हैं।

(iv) लेखाओं का प्रारूप :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" का व्यापक अर्थ है, जो लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही नहीं बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण हेतु उचित शीर्षों के चयन के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है, जो लेखे का चार्ट को रूप देता है।

(v) बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व अनुदान/विनियोग के रूप में विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को वसूली एवं प्राप्तियों के बिना सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें व्यय में कमी के रूप में समायोजित करने की अनुमति होती है। लेखा एवं बजट शीर्षों से संबंधित समस्त अनुदानों/विनियोगों, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो जाती है।

बजट एवं लेखा : राज्य के बजट एवं लेखा दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के रोकड़ आधार और वर्गीकरण के एक समान आधार का पालन करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से महालेखा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षों के स्तर तक लेखों को वर्गीकृत किया गया है। लघुशीर्ष के नीचे का वर्गीकरण, प्रत्येक राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के सहमति अनुसार होता है। विनियोग लेखे के रूप में एक पृथक बजट तुलना विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदान/विनियोग की तुलना में वास्तविक संवितरण को दर्शाता है। विनियोग लेखे सकल आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं तथा वित्त लेखे के निवल आंकड़े का पुनर्मिलान करने हेतु विनियोग लेखे में पुनर्मिलान विवरण सम्मिलित किया जाता है।

रोकड़ आधार : लेखे, ऐसे पुस्तकीय समायोजन के अपवाद के साथ जो प्राधिकृत है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों और संवितरण को दर्शाता है। वित्त लेखे में प्राप्तियां एवं संवितरण निवल आधार पर हैं; पुनर्प्राप्तियां, कटौती और वापसियां का निवल।

पुस्तकीय समायोजन :

पुस्तकीय समायोजन गैर रोकड़ संव्यवहार होते हैं जो लेखे में समायोजन/परिशोधन के रूप में सम्मिलित होता है। इनमें से कतिपय संव्यवहार, राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखा में वेतन से वसूली, समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य निधियों का स्थानांतरण हेतु 'निरंक' देयक इत्यादि का समायोजन लेखा प्रेषण इकाईयों जैसे- कोषालयों, संभागों इत्यादि के स्तर पर किये जाते हैं।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी पुस्तकीय समायोजन किया जाता है। इनमें, लोक लेखा के अन्तर्गत निधियों का सृजन तथा निधियों को अंशदान का समायोजन समेकित निधि को नामे किया जाना (यथा राज्य आपदा उन्मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, निक्षेप निधि इत्यादि); समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के आरक्षित निधियों/जमा शीर्षों में जमा किया जाना; सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य शासन समूह बिमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन हेतु मुख्यशीर्ष 2049—ब्याज अदायगियों को नामे कर लोक लेखे में संबंधित मुख्यशीर्षों को जमा किया जाना; केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित है।

पूँजीगत तथा राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण :

स्थायी प्रकृति की आस्तियां (शासकीय स्थापना में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य मामलों में बिक्री के लिए नहीं) प्राप्त करने या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किये गये महत्वपूर्ण व्यय को स्थूल रूप से पूँजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुरक्षण, मरम्मत, संधारण एवं कार्यशील व्यय पर उत्तरवर्ती प्रभार जो कि परिसंपत्तियों को सचल बनाये रखने हेतु आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना के संचालन हेतु दैनिक किये गये समस्त व्यय तथा प्रशासनिक व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को लेखे में पृथक-पृथक दर्शाये जाते हैं।

भौतिक एवं वित्तीय संपत्ति तथा दायित्व : भौतिक संपत्ति एवं वित्तीय संपत्ति (जैसे निवेश, शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि) तथा दायित्व, जैसे कि ऋण, इत्यादि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्ति का मूल्यहास और वित्तीय संपत्ति का परिशोधन नहीं होता है। भौतिक संपत्तियों के जीवनकाल में हुई क्षतियों को समाप्त अथवा मान्य नहीं किया जाता है।

सहायता अनुदान : भारत सरकार का लेखांकन मानक-2 : सहायता अनुदान के लेखांकन एवं वर्गीकरण, के परिपालन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्रकरणों के अतिरिक्त नगद में प्रदत्त सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, यद्यपि यह अनुदेयी द्वारा परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित है। सभी प्राप्त अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्य की जाती है। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदानों के लेखांकन एवं वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जानकारी वित्त लेखे के विवरण 10 एवं परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान से संबंधित विस्तृत जानकारी राज्य शासन के लिए उपलब्ध के रूप में प्रकट किया जाता है।

ऋण एवं अग्रिम : भारत सरकार का लेखांकन मानक-3 : शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, के परिपालन में राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिम का विवरण वित्त लेखे के विवरण 7 एवं 18 में दर्शाया गया है। विवरणों में दर्शाये गये 31 मार्च 2024 का अंतिम शेष कोषालयों से प्राप्त प्रमाणकों और चालानों के आधार पर निकाली गई है एवं ऋणी संस्थाओं/राज्य शासन के साथ पुनर्मिलान करने की आवश्यकता है।

पूर्व अवधि समायोजनों : भारत सरकार का लेखांकन मानक-4 पूर्व अवधि समायोजनों के परिपालन में, राज्य शासन विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है एवं ऐसी जानकारी को प्रकट करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित है तथा शासकीय निर्णयों में परिवर्तन से उत्पन्न पूर्व अवधि समायोजनों हेतु आवश्यक प्रविष्टियों को समाविष्ट करती है, जो वर्तमान शेष एवं पूर्व वर्षों के प्रगामी राशि, जिसके लिये लेखे बंद कर दिया गया है, को प्रभावित कर सकती है।

सेवानिवृत्ति लाभ : रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 'पे एज यू गो' भुगतान के आधार के अनुसार संवितरित सेवानिवृत्ति लाभ को लेखे में दर्शाया गया है, किन्तु पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन दायित्वों, अर्थात् कर्मचारियों के पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के दायित्वों को

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

लेखे में सम्मिलित नहीं है। यद्यपि, आगामी तीन वर्षों (2024-25 से 2026-27) के लिए अनुमानित पेंशन दायित्वों वित्त लेखे के परिशिष्ट-XII में प्रतिबिंबित की गई है।

(vi) पूर्णांकन :

संबंधित विवरणों के शीर्ष में किये गये उल्लेख के अनुसार आंकड़ों को लाख एवं करोड़ में पूर्णांकित कर दर्शाया गया है। सारांशित तथा विस्तृत विवरणों के मध्य पूर्णांकित आंकड़ों के संबंध में जहाँ कहीं भी अंतर होता है, वह आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष :

लेखे में प्रतिवेदित रोकड़ शेष एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग में संधारित राज्य शासन के लेखे में अभिलिखित शेष राशि है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे से संबंधित रोकड़ संव्यवहारों के उपरान्त शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन गैर रोकड़ संव्यवहार होने के कारण रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते। वित्त लेखे में प्रतिवेदित रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक के पुस्तकों के साथ पुनर्मिलान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक एवं प्रतिबद्धित दायित्वों का प्रकटीकरण :

भारत सरकार का लेखांकन मानक-1 : 'शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों', क्षेत्र एवं वर्गवार प्रत्याभूतियों के विवरण को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये जानकारी के अनुसार वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दर्शाई गई है।

शासन प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है एवं प्रतिबद्धताओं को न तो अभिलिखित की जाती है न ही प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध दायित्वों को लेखे में मान्य की जाती है। यद्यपि यह वित्त लेखे के परिशिष्ट-XII के अन्तर्गत अपनी भविष्य की प्रतबद्धताओं को प्रकट करता है।

(ix) निकासी संव्यवहार :

निकासी संव्यवहार, राज्य द्वारा संग्रहित प्राप्तियों के प्रकृति का है जिसे अन्य इकाईओं को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, को वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियों में दर्शाया गया है। इनमें राज्य कैम्पा निधि में वर्ष के संग्रह का 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरण, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को स्थानांतरण, श्रमिक उपकर को संग्रहित कर शासकीय लेखे में रखा जाना एवं भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को स्थानांतरित किया जाना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केन्द्रांश को सिंगल नोडल एजेंसी को स्थानांतरण, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान को शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्थानांतरण, लोक लेखे में निर्दिष्ट मुख्यशीर्ष से एन.पी.एस. अंशदान को नामांकित निधि प्रबंधक को स्थानांतरण आदि सम्मिलित है।

2. लेखांकन रूपरेखा का अनुपालन :

(i) मासिक लेखे बंद होने के उपरांत कोषालयों द्वारा लेखे को फ्रीज न करना :

एकीकृत वित्तीय प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से कोषालयों द्वारा ऑनलाइन लेखा प्रस्तुतीकरण के पश्चात लेखे को फ्रीज किया जाना है। मासिक लेखे को बंद करने के पश्चात कोषालयों द्वारा लेखे को फ्रीज न करने से कार्यालय महालेखाकार को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात डेटा में संशोधन की संभावना रह सकती है एवं कार्यालय महालेखाकार तथा राज्य शासन के मध्य आंकड़ों/डेटा का मिलान नहीं हो सकता। वर्ष 2023-24 के दौरान, रोकड़ लेखे, भुगतान की सूची, प्रमाणकों एवं संबंधित अभिलेखे सहित मासिक लेखे भौतिक प्रारूप में प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पूर्ण रूप से परिपालित नहीं हुई।

(ii) अनधिकृत शीर्षों का संचालन : वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन द्वारा कोई भी अनधिकृत लेखाशीर्ष नहीं खोला गया।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(iii) बिना सलाह के नए उप शीर्षो/विस्तृत लेखा शीर्षो को खोला जाना : भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य के लेखे का प्रारूप को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा दिये गये सलाह के अनुसार रखा जाना है। वर्ष 2023—24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक से सलाह लिये बिना बजट में 67 नवीन उप शीर्ष (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 51, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 14 एवं राजस्व तथा पूंजीगत दोनों के अन्तर्गत 02) खोल गये। वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य शासन ने इन शीर्षो के अन्तर्गत बजट प्रावधान प्रदान किये तथा राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 16,632.42 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 119.73 करोड़ का व्यय इन शीर्षो में किया। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से समयानुकूल सलाह लेने हेतु राज्य शासन को सलाह दी गई।

(iv) बजट प्रावधान के वर्णन में विसंगति तथा त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण :

वर्ष 2023—24 के राज्य शासन के बजट दस्तावेजों में निम्नोक्त लेखाशीर्ष से संबंधित बजट प्रावधान तथा सही वर्गीकरण का वर्णन नहीं किया है—

(क) छत्तीसगढ़ शासन समूह बीमा योजना पर ब्याज दर्ज किये जाने हेतु मुख्यशीर्ष 2049—‘ब्याज अदायगियां’ के अन्तर्गत 03—‘अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज’ के अधीन लघुशीर्ष 108—‘बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज’ के स्थान पर मुख्यशीर्ष 2049—‘ब्याज अदायगियां’ के अन्तर्गत 60—‘अन्य दायित्वों पर ब्याज’ के अधीन लघुशीर्ष 701—‘विविध’ में बजट प्रावधान किया।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यशीर्ष 4210 के अधीन उद्देश्य शीर्ष 14—सहायता अनुदान के अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना—‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’ के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान से संबंधित दर्ज व्यय के लिए बजट प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन ने लघुशीर्ष 191 से 193 नगर निगम, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों, नगर पंचायतों को सहायता तथा 196 से 198 जिला पंचायतों, ब्लाक पंचायतों, ग्राम पंचायतों को सहायता से संबंधित बजट प्रावधान राजस्व शीर्षो के स्थान पर पूंजीगत शीर्षो के अन्तर्गत किया। सहायता अनुदान तथा सहायता राजस्व प्रकृति का होता है एवं संबंधित राजस्व शीर्ष के स्थान पर पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत शीर्षो के बजट प्रावधान अधिक दर्शाया गया। इसे पैरा 3 (ii) ‘राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण’ में सम्मिलित किया गया है।

3. समेकित निधि :

(i) वस्तु एवं सेवा कर : वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य का वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण ₹ 13,793.29 करोड़ था जो वर्ष 2022—23 के ₹ 11,298.14 करोड़ के तुलना में ₹ 2,495.15 करोड़ (22.08 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की अग्रिम प्रभाजन प्राप्त नहीं हुआ। तथापि दिनांक 26.12.2022 की स्थिति में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के शेष में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान ₹ 157.50 करोड़ का अग्रिम प्रभाजन समायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का समनुदेशित निवल आगमों का स्वयं का हिस्सा के रूप में राज्य शासन ने ₹ 11,678.76 करोड़ प्राप्त किया। वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 25,472.05 करोड़ थी। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राज्य को वर्ष 2023—24 में ₹ 587.02 करोड़ का गैर-ऋण क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य शासन को वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति के एवज में केन्द्र सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण (31 मार्च 2024 तक कुल ऋण ₹ 8,074.15 करोड़) प्राप्त नहीं हुई, जिसे वित्त आयोग के मानदण्ड के तहत राज्य की उधार सीमा के गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2023—24 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों एवं वित्त लेखे में दर्ज आंकड़ों के मध्य अंतर के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्व वर्ष से संबंधित कोई समायोजन प्रविष्टियां नहीं की गई।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

- (ii) राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण : वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 3,656.58 करोड़ की व्यय को राजस्व अनुभाग के स्थान पर त्रुटिपूर्वक पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया तथा ₹ 38.93 करोड़ का व्यय को पूंजीगत अनुभाग के स्थान पर त्रुटिपूर्वक राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जो कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित होता है। राजस्व व्यय के ₹ 1,553.58 करोड़ का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण लघुशीर्ष 191 से 193 नगर निगम, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों, नगर पंचायतों को सहायता तथा 196 से 198 जिला पंचायतों, ब्लाक पंचायतों, ग्राम पंचायतों में पूंजीगत शीर्षों में दर्ज किया गया है। ये राजस्व अनुभाग के लिए है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में ₹ 38.93 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 1,567.97 करोड़ की अधिक्य दर्शायी गई है।
- (iii) राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय तथा प्रदत्त किये गये ऋण एवं अग्रिम राशि का सी.सी.ओ. और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य पुनर्मिलान : सभी नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से पुनर्मिलान करें। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन द्वारा राशि ₹ 1,56,605.72 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 99.38 प्रतिशत) के प्राप्तियों तथा राशि ₹ 1,50,428.97 करोड़ (कुल व्यय का 97.31 प्रतिशत) व्यय का पुनर्मिलान राज्य शासन के ई-कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। वर्ष 2022-23 अर्थात् गत वर्ष के दौरान राशि ₹ 90,146.07 करोड़ की प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का 86.14 प्रतिशत) एवं राशि ₹ 93,898.30 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 86.70 प्रतिशत) का पुनर्मिलान राज्य शासन द्वारा किया गया।
- (iv) लघुशीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ एवं 800-‘अन्य प्राप्तियों’ के अन्तर्गत दर्ज राशि : लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं है। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि, इससे लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखे के 26 मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 768.52 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,30,159.89 करोड़) का 0.59 प्रतिशत को लेखे में लघुशीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। गत वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखे के 26 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 539.21 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 98,605.33 करोड़) का 0.55 प्रतिशत को लेखे में लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, लेखे के 43 मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 6,099.05 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,03,508.20 करोड़) का 5.89 प्रतिशत को लेखे में मुख्यशीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियां’ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। गत वर्ष के दौरान, लेखे के 44 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,715.17 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 93,877.14 करोड़) का 8.22 प्रतिशत को लेखे में लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियों’ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

राज्य शासन को वर्तमान में प्रचलित लघुशीर्ष 800 के स्थान पर निम्न लघुशीर्ष प्रस्तावित किये गये हैं :-

स.क्रं.	वर्तमान लेखा शीर्ष	प्रस्तावित लेखा शीर्ष
1	2245-80-800-2018	2245-80-102-2018
2	2245-80-800-7408	2245-80-102-7408
3	4700-01/02/03/06/07/09-800-2898	4700-01/02/03/06/07/09-101-2898
4	4700-01/02/03/04/05/06-800-5685	4700-01/02/03/04/05/06-101-5685
5	4700-04/06/08/10/11/12-800-2884	4700-04/06/08/10/11/12-101-2884
6	4700-02/03/04/05/06/07/09/10/11/12-800-5516	4700-02/03/04/05/06/07/09/10/11/12-101-5516
7	4700-02/80-800-6354	4700-02/80-101-6354
8	4700-13/14/15/16-800-6369	4700-13/14/15/16-101-6369
9	4700-80-800-6597	4700-80-101-6597

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां-जारी

स.क्र.	वर्तमान लेखा शीर्ष	प्रस्तावित लेखा शीर्ष
10	4701-01/02/03/10/12/14/15/18/19/ 20/21/28/29/30/32/34/36/37/38/ 39-800-2898	4701-01/02/03/10/12/13/14/15/18 19/20/21/28/29/30/32/34/36/37/ 38/39-101-2898
11	4701-49/50-800-4843	4701-49/50-101-4843
12	4701-80-800-6354	4701-80-101-6354
13	4701-80-800-6597	4701-80-101-6597
14	4701-08/16/17/21/22/23/24/25/26/ 27/29/31/33-800-3366	4701-08/16/17/21/22/23/24/25/ 26/27/29/31/33-101-3366
15	4701-80-800-6371	4701-80-101-6371
16	4701-01/04/05/06/08/09/12/15/28/ 48-800-5188	4701-01/04/05/06/08/09/12/15/ 28/48-101-5188

वर्ष 2024-25 में उपरोक्त प्रस्तावित शीर्षों में बजट प्रावधान उपलब्ध कराई जाने की प्रगति पर ध्यान रखा जाएगा।

- (v) **व्यक्तिगत निक्षेप खाते (पी.डी. खाता) में राशि का स्थानांतरण :** व्यक्तिगत निक्षेप खाते नामित आहरण अधिकारियों को योजना से संबंधित विशेष उद्देश्य के लिए व्यय किये जाने हेतु सक्षम करता है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार तथा व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की शर्तों के अधीन, समेकित निधि से व्यक्तिगत निक्षेप खाते में स्थानांतरित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अथवा संवर्ण की निर्धारित अवधि के पश्चात, समेकित निधि के अन्तर्गत संबंधित लेखाशीर्षों, जहाँ से राशि को स्थानांतरित की गई थी, में प्रतिलेखित किया जाना है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अधीन राज्य शासन के आदेश के सरल क्रमांक 2 (बी) के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खातों के 28 प्रशासकों (130 में से) ने अपने शेषों का कोषालय के आंकड़ों (कोषालय में) के साथ पुनर्मिलान एवं सत्यापन किया तथा 28 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र उनके द्वारा कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालय अधिकारियों से 28 प्रमाण पत्र प्राप्त हुई। व्यक्तिगत जमा खातों के 102 प्रशासकों द्वारा कोषालय आंकड़ों के साथ उनके शेष राशि का पुनर्मिलान एवं सत्यापन नहीं किया गया।

31 मार्च 2024 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष		वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2023-24 के दौरान किये गये बंद/आहरण		31 मार्च 2024 को अंतशेष	
प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि	प्रशासको की संख्या	राशि
131	1,364.20	2	149.09	3	160.39	130	1,352.90

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के समेकित निधि से इन व्यक्तिगत निक्षेप खाते में ₹ 34.59 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई। इसमें मार्च 2024 में स्थानांतरित ₹ 0.26 करोड़ सम्मिलित है। व्यक्तिगत निक्षेप खाते में चालानों के माध्यम से ₹ 114.50 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से जमा की गई है।

वर्ष के दौरान, तीन व्यक्तिगत निक्षेप खाते, जिसमें ₹ 0.69 करोड़ की शेष रहा, बंद किया गया एवं संबंधित सेवा शीर्षों को ऋणात्मक नामे किये जाने के स्थान पर लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8443-101 (राजस्व जमा) में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 159.70 करोड़ की राशि को आहरित की गई।

विगत तीन वर्षों में सात व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिसमें ₹ 5.20 करोड़ की शेष राशि थी, निष्क्रिय रहा। संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 में उपलब्ध हैं।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(vi) **असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक** : वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषालय नियम 290) एवं छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल किये जाने वाले संवितरण के अतिरिक्त कोई भी राशि शासकीय कोषालय से आहरित नहीं की जायेगी। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है। छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के सहायक नियम 327 के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अंतिम व्यय के प्रमाणक सहित विस्तृत आकस्मिक देयक जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये थे उसके आगामी माह के 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षिप्त आकस्मिक देयक द्वारा किये गये व्यय के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक देयकों का विलंब से प्रस्तुती या लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने से संक्षिप्त आकस्मिक देयक से किये गये व्यय पारदर्शी नहीं रहती है तथा वित्त लेखे में प्रदर्शित व्यय को अंतिम या सही रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

31 मार्च 2023 तक (मार्च 2023 के लेखे तक) ₹ 306.67 करोड़ की राशि के 471 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयक के लिए देय थे। वर्ष 2023-24 में (फरवरी 2024 के लेखे तक) ₹ 3,666.13 करोड़ की राशि के 291 संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये जिसके विरुद्ध ₹ 3,944.20 करोड़ के 320 विस्तृत आकस्मिक देयक प्राप्त हुये। 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में ₹ 28.60 करोड़ की राशि के कुल 442 संक्षिप्त आकस्मिक देयक असमायोजित रहे। समायोजन हेतु देय असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का विवरण निम्नांकित दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित ए.सी. देयको की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	214	17.51
2023-24	228	11.09
योग	442*	28.60

* इनमें एस.एन.ए. से संबंधित ए.सी./डी.सी. देयक सम्मिलित हैं।

* मार्च 2024 के लेखे में ₹ 2,632.18 करोड़ (41.79 प्रतिशत) की राशि के 120 ए.सी. देयक आहरित किये गये।

(vii) **सहायता अनुदान हेतु अप्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र** :

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक एवं अनुवर्ती सशर्त अनुदान के प्रकरण में, अनुदेयी द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र को अनुदान स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना है जो उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं/या अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्यवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, वित्त लेखे में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों को प्राप्त नहीं होने की एक जोखिम है।

वर्ष 2023-24 के दौरान 275 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 2,167.29 करोड़ 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए देय थे एवं सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें एस.एन.ए. से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्मिलित है। 31 मार्च 2024 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति निरंक है।

(viii) **ब्याज समायोजन** : शासन, (ज) आरक्षित निधि (क-ब्याज वाली आरक्षित निधियों) एवं ट-जमा तथा अग्रिम (क-ब्याज वाली जमा) के श्रेणी अन्तर्गत शेष राशि पर ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है और इस उद्देश्य के लिए मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों की सूची में विशिष्ट उप मुख्यशीर्षों का प्रावधान किया गया है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

इन निधियों/जमा का विवरण एवं वर्ष 2023-24 के दौरान शासन द्वारा भुगतान किये गये ब्याज निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

निधियों/जमा	1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	ब्याज की गणना हेतु आधार	देय ब्याज	ब्याज भुगतान	ब्याज कम भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	20.55	ब्याज की गणना शासन द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि के देय ब्याज दर (7.1 प्रतिशत)के अनुसार की गई है।	1.89	निरंक	1.89
राज्य आपदा उन्मोचन निधि	208.34	ब्याज की गणना अधिविकर्षण पर लागू दर जो कि रेपो रेट + 2 प्रतिशत (8.50) है पर की गई है।	44.39	निरंक	44.39
		31.03.2023 को प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश का 9 दिन विलंब से स्थानांतरण बैंक दर पर (केन्द्रांश ₹ 181.60 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 60.40 करोड़)	0.39	निरंक	0.39
		10.07.2023 को प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश का 8 दिन विलंब से स्थानांतरण बैंक दर पर (केन्द्रांश ₹ 181.60 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 60.40 करोड़)	0.36	निरंक	0.36
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	84.22	निधि का गैर-निवेश- रेपो रेट + दो प्रतिशत (8.50)	15.32	निरंक	15.32
		2023-24 के दौरान प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश का गैर स्थानांतरण- बैंक दर पर (6.75 प्रतिशत)	5.72	निरंक	5.72
		केन्द्रांश एवं राज्यांश के स्थानांतरण में विलंब- बैंक दर पर (₹ 86.40 करोड़ की राशि 29 मार्च 2022 को प्राप्त हुई तथा 19 मई 2023 को स्थानांतरित) की गई।	7.49	निरंक	7.49
			76.56	0.00	76.56

₹ 76.56 करोड़ ब्याज दायित्व का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में ₹ 76.56 करोड़ की कमी हुई। यह वित्त लेखे के विवरण 15, 21 तथा 22 के आंकड़ों के संदर्भ में है।

(ix) शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों :

छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रत्याभूति नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान शासन द्वारा दिये गये कुल शासकीय प्रत्याभूति, महालेखाकार के पुस्तकों के अनुसार पूर्व वर्ष के राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष के दौरान, राज्य शासन द्वारा कोई नई प्रत्याभूति जारी नहीं की गई। हालांकि 2023-24 में विद्यमान प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के विरुद्ध ₹ 1,777.62 करोड़ की प्रत्याभूति ली गई। 31 मार्च 2024 तक ₹ 31,662.68 करोड़ का कुल प्रत्याभूति, वर्ष 2022-23 में राज्य का स्वयं के राजस्व प्राप्तियों (₹ 48,370.55 करोड़) के 65.46 प्रतिशत तथा निर्धारित सीमा के भीतर रहा।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 28/2002 दिनांक 22.05.2002 के अनुसार सरकार प्रत्याभूति राशि का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क के रूप में लेगी। ₹ 22,099.71 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति के विरुद्ध वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। अप्रैल 2024 में ₹ 73.50 करोड़ का प्रत्याभूति शुल्क जमा किया गया, जिसे वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे में लेखाबद्ध किया जायेगा।
प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 09, 14 एवं 20 पर उपलब्ध हैं।

(x) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय :

राज्य शासन द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण हेतु किये गये व्यय को वित्त लेखे में विभिन्न कार्यात्मक लेखाशीर्षों के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर दर्शाया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, मुख्यशीर्ष 2406 एवं 4702 के अन्तर्गत ₹ 414.13 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 368.07 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त मुख्यशीर्ष 2402 के अन्तर्गत ₹ 205.67 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 267.95 करोड़ का व्यय किया। गत वर्ष 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यशीर्ष 2029, 2401, 2406 एवं 4059 के अन्तर्गत ₹ 105.35 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 76.58 करोड़ का व्यय किया।

(xi) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय :

वर्ष 2023-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं (आपदा) से संबंधित राहत उपायों पर मुख्यशीर्ष 2245 के अन्तर्गत ₹ 609.58 करोड़ (गत वर्ष ₹ 312.85 करोड़) का व्यय किया। शासन को केन्द्र सरकार से राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 181.60 करोड़ का सहायता अनुदान/केन्द्रीय सहायता (वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त) प्राप्त हुआ, जिसका लेखांकन मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत किया गया है।

(xii) केन्द्रीय ऋणों का अपलेखन : तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा फरवरी 2012 में, विभिन्न मंत्रालयों (केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य शासन को केन्द्रीय आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में प्रदत्त ऋणों को अपलेखित किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश के प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) तथा इसके क्रियान्वयन के मध्य किये गये मूलधन एवं ब्याज का अधिक पुनर्भुगतान को वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान के विरुद्ध समायोजित किये जाने हेतु राज्य शासन को अनुमति प्रदान की। छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2024 के अंत तक ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज) का अधिक भुगतान किया जिसका समायोजन वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है।

(xiii) राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण :

₹ 46.72 करोड़ के पुराने ऋणों (जिनका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित किया जाता है) का विगत कई वर्षों से मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं हुई है तथा ऐसे ऋण 10 वर्षों से अधिक पुराने हैं।

संविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं को दिये गये ₹ 441.85 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान का नियमों और शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। (वित्त लेखे के विवरण 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में विवरण हैं)। परिणामस्वरूप, इस लेखे पर राज्य शासन की प्राप्तियों का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रतिवर्ष ऋण शेषों (जहाँ प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखे का संधारित किया जाता है) का सत्यापन तथा स्वीकृति हेतु ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। किसी भी कर्जदार ने शेष राशि की पुष्टि नहीं की है। विभागीय अधिकारियों से शेष राशि का पुनर्मिलान के लिए अपेक्षित जानकारी का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(xiv) प्रतिबद्धित दायित्व : बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार केन्द्र सरकार द्वारा उपचय लेखांकन (एकूअल अकाउन्टिंग) की ओर अग्रसर होने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तथापि, चूंकि परिवर्तन चरणों में घटित होगा, उपचय पर आधारित लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन हेतु, कतिपय अतिरिक्त जानकारी विवरण के रूप में नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में संलग्न किया जाना आवश्यक है जिससे निर्णयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध दायित्वों की जानकारी दिया जाना था जिसे वित्त लेखे के परिशिष्ट—XII में दर्शाया गया है।

राज्य शासन ने प्रतिबद्ध दायित्वों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।

(xv) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) पर व्यय :

वर्ष के दौरान 31 मार्च 2024 की स्थिति में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं केन्द्रीय सहायता (जैसे एस.डी.आर.एफ., एस.डी.एम.एफ.) के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 18,062.95 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 13,708.28 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 4,354.67 करोड़) दर्ज किया गया है, जिसमें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं केन्द्रीय सहायता का केन्द्रांश (₹ 8,848.58 करोड़) तथा राज्यांश (₹ 9,214.29 करोड़) का व्यय सम्मिलित है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश में जल जीवन मिशन पर किया गया व्यय ₹ 2,825.24 करोड़ सम्मिलित है, जिसके विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश राज्य बजट के माध्यम से विमुक्त न करते हुए कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण किया गया।

(xvi) राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर उपलब्ध कराई गई निधि):

महालेखा नियंत्रक के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों (एनजीओ, केन्द्र सरकार के संगठन, वैधानिक संगठन, शहरी/ग्रामीण निकाय, लाभार्थी आदि) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ₹ 12,411.41 करोड़ प्राप्त किये गये। वर्ष 2022–23 के तुलना में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि के प्रत्यक्ष स्थानांतरण में 15.20 प्रतिशत (वर्ष 2022–23 में ₹ 14,636.43 करोड़ से वर्ष 2023–24 में ₹ 12,411.41 करोड़ तक) की कमी हुई। विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट—VI में दर्शाया गया है।

(xvii) राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व :

ऑफ बजट उधार शासन का दायित्व है क्योंकि मूलधन तथा उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से शासन के बजट से राज्य के संस्थाओं को सहायता अथवा अनुदान के रूप में चुकाया जाता है।

राज्य शासन ने 2023–24 के अपने बजट दस्तावेजों (एफआरबीएम प्रकटीकरण) में वर्ष 2022–23 तक ₹ 4,121.33 करोड़ का ऑफ बजट दायित्व का खुलासा किया है, जो लेखे में दर्शायी गई दायित्व अर्थात् ₹ 1,01,696.43 करोड़ के अतिरिक्त है। तथापि राज्य शासन ने 2024–25 के बजट दस्तावेजों में वर्ष 2023–24 के लिए ऑफ बजट दायित्वों की स्थिति का खुलासा नहीं किया। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के वेब साईट में उपलब्ध जानाकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा दो संस्थाओं से संबंधित ₹ 2,706.04 करोड़ की ऑफ बजट उधारी की उगायी की गयी है।

वर्ष 2023–24 में छत्तीसगढ़ शासन ने सात संस्थाओं के संबंध में ऑफ बजट उधार पर मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज भुगतान हेतु क्रमशः ₹ 711.16 करोड़ तथा ₹ 742.15 करोड़ प्रदान किये। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति का उन्मोचन नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान राज्य शासन ने उदय के अन्तर्गत जारी बंध पत्र पर ₹ 87.01 करोड़ का मूलधन का भुगतान किया गया है। राज्य के राजकोषीय संकेतकों की गणना करते समय उदय पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2022–23 में राज्य द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की वापसी किये जाने से भविष्य में राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(xviii) सिंगल नोडल एजन्सी (एस.एन.ए.) को निधि का स्थानांतरण :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र क्रमांक आई (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने एवं एस.एन.ए. के माध्यम से जारी धन का उपयोग की निगरानी हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया। प्रत्येक सी.एस.एस. के लिए एस.एन.ए. की स्थापना की गयी है, जिसका अपना बैंक खाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में है, जिसे राज्य सरकार द्वारा शासकिय व्यवसाय संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार राज्य शासन, केन्द्रांश के साथ-साथ अनुरूप राज्यांश को भी केन्द्रांश की प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर एस.एन.ए. के खातों में स्थानांतरित किया जाना है। एस.एन.ए. खाते में केन्द्रांश के स्थानांतरण में 30 दिवस से अधिक विलंब होने पर प्रभावी दिनांक 01.04.2023 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाना होगा।

एस.एन.ए. 01 (पी.एफ.एम.एस. पोर्टल) तथा राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य शासन को वर्ष के दौरान राज्य शासन के कोषालय लेखे में ₹ 8,051.05 करोड़ का केन्द्रांश प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2024 तक, राज्य शासन ने एस.एन.ए. को ₹ 8,514.85 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 8,609.09 करोड़ का राज्यांश स्थानांतरित किया। वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। एस.एन.ए. 01 (पी.एफ.एम.एस. पोर्टल) तथा राज्य शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार, 31 मार्च 2024 की स्थिति में एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 7,196.82 करोड़ अव्ययित रहा।

वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹ 8,190.55 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2024 की स्थिति में, शासन ने एस.एन.ए. को ₹ 8,722.87 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 8,994.94 करोड़ का राज्यांश स्थानांतरित किया। कुल ₹ 17,717.81 करोड़ की स्थानांतरण में से, संक्षिप्त आकस्मिक देयको के माध्यम से ₹ 6.25 करोड़, सहायता अनुदान देयको के माध्यम से ₹ 12,774.53 करोड़, पूर्ण रूप से प्रमाणित आकस्मिक देयको के माध्यम से ₹ 4,109.09 करोड़ तथा अन्य (चिकित्सा देयक, छात्रवृत्ति, एस.आर. फार्म, यात्रा अग्रिम देयक एवं वेतन देयक) के माध्यम से ₹ 827.94 करोड़ स्थानांतरित किया गया। वित्त लेखे में दर्शाये गये आंकड़े तथा एस.एन.ए. रिपोर्ट के आंकड़े के मध्य अंतर पुनर्मिलान के अधीन है।

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के केन्द्रांश की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना है। वर्ष 2023-24 के दौरान, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के केन्द्रांश की अव्ययित शेष राशि पर ₹ 1.53 करोड़ की राशि का अर्जित ब्याज राज्य शासन/एस.एन.ए. द्वारा भारत की समेकित निधि के स्थान पर राज्य की समेकित निधि में जमा की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के दौरान जमा किये गये ₹ 22.80 करोड़ के केन्द्रांश पर ब्याज की राशि में से, 2023-24 में केवल ₹ 5.45 करोड़ ही पेयजल तथा स्वच्छता विभाग, भारत सरकार को स्थानांतरित किये गये। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 की स्थिति में राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹ 18.88 करोड़ (वर्ष 2022-23 का ₹ 17.35 करोड़, 2023-24 का ₹ 1.53 करोड़) अधिक दर्शाया गया। एस.एन.ए. रिपोर्ट तथा वित्त लेखे के मध्य ₹ 139.50 करोड़ केन्द्रांश का अंतर पुनर्मिलान के अधीन है।

4. **आकस्मिकता निधि :** छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के धारा 5 के साथ पठित छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन निधि के अभिरक्षा, उसमें धनों के भुगतान और उसमें से धनों को निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने के लिए नियम बना सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 100.00 करोड़ की राशि है। वर्ष के दौरान, निधि से ₹ 76.96 करोड़ की राशि आहरित की गई एवं ₹ 63.49 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति की गई। वर्ष 2023-24 के अंत में, विभिन्न शीर्षों में ₹ 13.47 करोड़ की राशि प्रतिपूर्ति नहीं की गई, विवरण निम्नानुसार है—

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

स.क्रं	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2205—कला एवं संस्कृति	0.37
2	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.10
3	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8.00
4	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	5.00

31 मार्च 2024 की स्थिति में आकस्मिकता निधि में ₹ 86.53 करोड़ शेष है। संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 1, 2 तथा 21 में उपलब्ध है।

5. लोक लेखा :

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना :

दिनांक 01.11.2004 को या उसके पश्चात नियुक्ति किये गये राज्य शासन के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत है, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 प्रतिशत तथा राज्य शासन को 14 प्रतिशत की दर से अंशदान देना होता है। संपूर्ण राशि को ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र क्रमांक 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन अधिसूचित किया है। एन.पी.एस. के अन्तर्गत आने वाले कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने ओ.पी.एस. एवं 10,349 ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) का विकल्प चुना है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 92.37 करोड़ था (कर्मचारी अंशदान ₹ 38.29 करोड़, शासकीय अंशदान ₹ 52.29 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान ₹ 1.79 करोड़)। शासकीय अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 15 में मुख्यशीर्ष 2071 के अन्तर्गत उपलब्ध है। ₹ 52.29 करोड़ की शासकीय अंशदान, मुख्यशीर्ष 2071 से प्रत्यक्ष रूप से ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की गयी। कर्मचारी अंशदान तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान कुल राशि ₹ 40.08 करोड़ में से ₹ 39.06 करोड़ ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की गयी। इसप्रकार, राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹ 1.02 करोड़ अधिक दर्शाया गया। शासकीय अंशदान ₹ 1.32 करोड़ कम है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को कमी एवं रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया। गत वर्षों के राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान के ₹ 20.55 करोड़ राज्य के लोक लेखा में शेष था तथा ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ शेष को अधिक दर्शाया गया।

(ii) (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ :

(ए) राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) : राज्य आपदा उन्मोचन निधि (मुख्यशीर्ष '8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ' के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधि के अधीन है) के गठन एवं प्रशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात से निधि में अंशदान किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश के रूप में ₹ 181.60 करोड़ (केन्द्रांश की पहली किस्त) प्राप्त की। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन को केन्द्रांश के रूप में ₹ 181.60 करोड़ (द्वितीय किस्त) प्राप्त की। प्रत्येक किस्त के लिए राज्यांश ₹ 60.40 करोड़ (₹ 120.80 करोड़) है। राज्य शासन ने मुख्यशीर्ष '8121—122 राज्य आपदा उन्मोचन निधि' के अन्तर्गत निधि में ₹ 484.00 करोड़ (केन्द्रांश—₹ 363.20 करोड़ एवं राज्यांश—₹ 120.80 करोड़) स्थानांतरित किया। एन.डी.आर.एफ. हेतु केन्द्र सरकार से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2023-24 के केन्द्रांश से संबंधित कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(बी) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस.डी.एम.एफ.) :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस.डी.एम.एफ.) का गठन किया जाना है। यह निधि केवल राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सम्मिलित आपदा एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित राज्य विशेष स्थानीय आपदा से संबंधित न्यूनीकरण परियोजनाओं के उद्देश्य से है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-नं.1-93/राजस्व/राहत/2020, दिनांक 24.04.2020 के माध्यम से मुख्यशीर्ष 8121-130- 'राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि' के अन्तर्गत एस.डी.एम.एफ. गठन किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन को केन्द्रांश के रूप में ₹ 90.80 करोड़ (वर्ष 2022-23 के लिए) प्राप्त हुये तथा वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 30.27 करोड़ है। इसे राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹ 90.80 करोड़ केन्द्रांश तथा ₹ 30.27 करोड़ राज्यांश का स्थानांतरण न किये जाने से उस सीमा तक राजस्व व्यय में कमी हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन ने मुख्यशीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के अन्तर्गत गत वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 115.20 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 86.40 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 28.80 करोड़) की राशि निधि में स्थानांतरित किया गया।

(सी) **राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि** : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में प्रतिकरात्मक वनरोपण करने हेतु उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों के लिए लोक लेखा में ब्याज वाले अनुभाग के अन्तर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का गठन किया जाना चाहिए। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रतिकरात्मक वनरोपण से संबंधित प्राप्तियों को प्रथम अवसर पर राज्य शासन द्वारा प्राप्त किया जाना है।

तदोपरान्त, 10 प्रतिशत की केन्द्रांश को राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में तथा 90 प्रतिशत को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में स्थानांतरित किया जाना होगा। राज्य शासन ने उपयोगकर्ता अभिकरणों से शुल्क की प्राप्ति हेतु समर्पित खाता नहीं खोले। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार, वन भूमि के व्यपवर्तन के मामलों में उपयोगकर्ता अभिकरणों परिवेश-II पोर्टल पर ऑनलाइन चालान के माध्यम से राशि जमा करती है, जिनका लेखांकन राष्ट्रीय कैम्पा के अन्तर्गत संकलित किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन को राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से ₹ 388.72 करोड़ प्राप्त हुए जो 01.04.2020 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा जमा की गई राशि का 90 प्रतिशत हैं। समर्पित खाता की अनुपस्थिति में, वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगकर्ता अभिकरणों ने ₹ 423.59 करोड़ की राशि राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा किये। शासन ने इस निधि से ₹ 1,000.00 करोड़ का व्यय किया तथा ₹ 3,375.70 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च 2024 की स्थिति में राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में कुल शेष राशि ₹ 3,383.83 करोड़ थी।

(डी) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि :

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 के भाग 3 (2) के अनुसार प्रत्येक वर्ष, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत की समतुल्य राशि निधि हेतु चिन्हित तथा अभिदाय किया जाना है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹ 647.07 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में स्थानांतरण किया जाना था (वर्ष 2022-23 के दौरान संग्रहित ₹ 12,941.33 करोड़ की खनिज राजस्व का पांच प्रतिशत) जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने केवल ₹ 400.00 करोड़ का स्थानांतरण किया। ₹ 247.07 करोड़ की कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में उस सीमा तक कमी हुई।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(ख) बिना ब्याजवाली आरक्षित निधियाँ :

(ए) समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.) : छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2006-07 में ऋणों का परिशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित निक्षेप निधि का गठन किया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा समेकित निक्षेप निधि में पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया दायित्व (आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व ₹ 86,500.48 करोड़) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान किया जाना है। वर्ष 2023-24 में ₹ 432.50 करोड़ का निधि में अंशदान किया जाना था जिसके विरुद्ध शासन ने केवल ₹ 415.00 करोड़ का अंशदान किया। 31 मार्च 2024 की स्थिति में निधि का कुल संचय ₹ 3,701.94 करोड़ था (31 मार्च 2023 को ₹ 3,286.94 करोड़)।

(बी) छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि : राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया है। राज्य शासन द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन में यह निर्धारित करता है कि वर्ष 2023 से राज्य शासन प्रारंभ में विगत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान करेगी तथा उसके पश्चात आगामी पांच वर्षों में 3 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान किया जायेगा। निधि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 5 प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक वृद्धि किया जाएगा। यदि प्रत्याभूति उन्मोचित की गई है या उन्मोचन होने की संभावना है, तो अतिरिक्त निधि (5 प्रतिशत से अधिक) बनाए रखी जाएगी। वर्ष के दौरान शासन ने ₹ 10.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2024 तक संचित निधि में कुल ₹ 15.00 करोड़ था (वर्ष 2022-23 के दौरान निधि में स्थानांतरित ₹ 5.00 करोड़ सम्मिलित हैं) तथा इसे ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया है।

जी.आर.एफ. योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन को ₹ 221.00 करोड़ (31.03.2023 तक कुल बकाया प्रत्याभूति के ₹ 22,099.71 करोड़ का एक प्रतिशत) का अंशदान देना था, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2024 तक ₹ 15.00 करोड़ का अंशदान किया गया।

(सी) पेंशन निधि :

छत्तीसगढ़ शासन ने 29 मार्च 2003 की अधिसूचना के अन्तर्गत पेंशन निधि की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियम के नियम 6 में कहा गया है कि सरकार इस निधि में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में पेंशन संबंधी दायित्वों के लिए मुख्यशीर्ष 2071 में कुल दायित्वों के 5 प्रतिशत से कम राशि स्थानांतरित नहीं करेगी, बशर्ते कि राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, निधि में ज्यादा राशि स्थानांतरित कर सकती है। पेंशन निधि को मुख्यशीर्ष 8229-200 अन्य विकास निधि के नीचे उप-शीर्ष स्तर पर बनाया गया है। 31.03.2023 की स्थिति में मुख्यशीर्ष 2071 के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 7,661.46 करोड़ था, जिसका 5 प्रतिशत वर्ष 2023-24 में निधि में अंशदान के लिए ₹ 383.07 करोड़ है।

1 अप्रैल 2024 तक निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 456.05 करोड़ था। वर्ष के दौरान, ₹ 383.07 करोड़ के आवश्यक अंशदान के विरुद्ध ₹ 272.00 करोड़ की राशि निधि में स्थानांतरित की गई। ₹ 111.07 करोड़ के कम अंशदान ने उस सीमा तक राजस्व व्यय कमी हुई।

(iii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) :

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 के माध्यम से पूर्ववर्ती केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम परिवर्तित कर केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) किया गया। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एवं रखरखाव, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अधोसंरचना हेतु किया जाएगा।

प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र से राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान को प्रथमतः मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात, प्राप्त राशि को राज्य शासन द्वारा कार्यात्मक मुख्यशीर्षों के माध्यम से लोक लेखा के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 8449-103-‘केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि’ में स्थानांतरित किया जाना है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन को सी.आर.आई.एफ. में ₹ 353.60 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। तथा ₹ 300.00 करोड़ (2021-22 के ₹ 69.64 करोड़, 2022-23 के ₹ 86.92 करोड़ एवं 2023-24 के ₹ 143.44 करोड़) निधि को स्थानांतरित किये। राज्य शासन ने 31 मार्च 2024 तक लोक लेखा में ₹ 210.16 करोड़ निधि में स्थानांतरण नहीं किये। ₹ 210.16 करोड़ का कम स्थानांतरण से राजस्व व्यय में कमी हुई।

(iv) उचंत एवं प्रेषण शेष :

वर्ष 2023-24 के दौरान, वाउचर/चालान/स्वीकृति पत्र इत्यादि दस्तावेजों के अभाव में, प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा कोई भी राशि उचंत [मुख्यशीर्ष 8658, लघुशीर्ष 102 (आपत्ति पुस्तिका उचंत) एवं लघु शीर्ष 110 रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय] के अन्तर्गत नहीं रखा गया है।

वित्त लेखे उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामें एवं जमा शेषों को पृथक रूप से जोड़कर गणना किये जाने पर 31 मार्च 2024 तक तीन मुख्य शीर्षों (8658, 8782 एवं 8793) के अन्तर्गत ₹ 226.86 करोड़ (नामे) थी (31 मार्च 2023 तक ₹ 117.78 करोड़ (नामे)।

इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का निराकरण न करने से राज्य शासन के विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों एवं शेषों (जिसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है) की शुद्धता को प्रभावित करता है।

(v) **चैक्स एवं बिल्स/डिजिटल भुगतान :** मुख्यशीर्ष 8670—चैक्स एवं बिल्स के अन्तर्गत जमा शेष यह इंगित करता है कि जारी किये गये चैक्स को भुनाया नहीं गया है। 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष ₹ 57.91 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2023-24 दौरान ₹ 1,10,208.16 करोड़ के चैक्स/भुगतान फाइलें जारी किये गये जिसके विरुद्ध ₹ 1,10,208.79 करोड़ के चैक्स/भुगतान फाइलें को भुनाये गये तथा 31 मार्च 2024 को अंतशेष राशि ₹ 57.28 करोड़ (जमा) रहा। अंतशेष, विभिन्न वित्तीय वर्षों में अनेक कार्यात्मक मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत मूल रूप से दर्ज व्यय जिसका 31 मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ शासन से कोई नगद निकासी नहीं हुआ है, प्रदर्शित करता है। डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से किये गये भुगतान आदेशों को संव्यवहार पूरा होने पर व्यय माना जाता है। यद्यपि, असफल के मामलों में जिसे 'ई-कुबेर असफल' संव्यवहार कहा जाता है, संव्यवहार का लेखा 8658-102 में उचंत के रूप में दर्ज किया जाता है। वर्ष 2023-24 में 'ई-कुबेर' असफल संव्यवहार के कारण ₹ 72.46 करोड़ की राशि उचंत के रूप में दर्ज की गई।

(vi) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर :** भारत सरकार द्वारा कर्मकारों को लाभ प्रदाय किये जाने हेतु उपकर के उगाही एवं संग्रहण के लिए "भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996" (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन मुख्यशीर्ष 8443 के अन्तर्गत श्रमिक उपकर के रूप में ₹ 59.99 करोड़ (2022-23 ₹ 39.81 करोड़) संग्रहित किया एवं भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को ₹ 58.01 करोड़ (2022-23 ₹ 45.53 करोड़) स्थानांतरित किया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को ₹ 1.98 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 3.20 करोड़) मुख्यशीर्ष 8443 से अस्थानांतरित रहा। चूंकि यह पास-थ्रू संव्यवहार है, इसलिए शासन ने रोकड़ शेष को इस राशि से अधिक दर्शाया गया है।

(vii) **अन्य उपकर/फीस/अधिभार :** वर्ष 2023-24 के दौरान, शासन ने ₹ 395.90 करोड़ (वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 421.16 करोड़) संग्रहित किये, जिसमें अधोसंरचना विकास उपकर (₹ 197.95 करोड़) एवं पर्यावरण उपकर (₹ 197.95 करोड़) सम्मिलित है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 245.50 करोड़ की निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई (वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई)। ₹ 176.66 करोड़ कम स्थानांतरण राजस्व व्यय को कम दर्शाता है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(viii) **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) को प्रेषण** : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)—एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1) के तहत, अगस्त 2015 में, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना की गई। अधिनियम की धारा 9 सी (4) कहा गया है कि खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक को दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के समान राशि का भुगतान न्यास को करेगा, जिस तरह से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (संशोधन) नियम, 2018 के नियम 7(1) में कहा गया है कि खनन पट्टा या पूर्वक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक, राज्य शासन को रॉयल्टी का भुगतान करते समय, अधिनियम की धारा 9 सी की उपधारा (4) के तहत रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि न्यास को इस उद्देश्य के लिए दर्ज किये गये शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के लोक लेखे में जमा किया जाएगा। राशि के प्राप्त होने पर, राज्य शासन उप-नियम (1) के तहत राज्य के लोक लेखे में संग्रहित की गई राशि को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित किया जायेगा।

लेखा प्रक्रिया के अनुसार, खनिकों द्वारा आवश्यक राशि सीधे राज्य के लोक लेखा में मुख्यशीर्ष 8449-123 एनएमईटी के अन्तर्गत जमा की जा रही है। तत्पश्चात, वृद्धि को समय-समय पर भारत के संचित निधि के अन्तर्गत एनएमईटी में स्थानांतरित किया जाता है। एनएमईटी निधि भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत बनाई गई गैर-व्यपगत एवं गैर-ब्याज वाली निधि है।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई गई है। एन.एम.ई.टी. से संबंधित प्राप्तियां पट्टेदार द्वारा सीधे मुख्यशीर्ष 8449-123 के अन्तर्गत जमा की जाती हैं तथा राज्य शासन द्वारा इसे खनन मंत्रालय, भारत सरकार को स्थानांतरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यशीर्ष 8449-123 के अन्तर्गत ₹ 136.21 करोड़ जमा किये गये तथा संपूर्ण राशि भारत सरकार को स्थानांतरित किया गया।

(ix) **प्रतिकूल शेष** : प्रतिकूल शेष वह स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा शीर्ष पर शेष राशि ऋणात्मक शेष दर्शाती है, देयता शीर्षों के अन्तर्गत नामे/(-)जमा शेष या उन शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सामान्य रूप से जमा शेष होना चाहिए तथा संपत्ति शीर्षों के अन्तर्गत जमा/(-)नामे शेष या उन शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सामान्य रूप से नामे शेष होना चाहिए। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/अधिक लेखा इकाईयों का निर्माण इत्यादि के कारण उत्पन्न होता है। दिनांक 31.03.2024 तक प्रतिकूल शेष निम्नांकित दिये गये विवरण के अनुसार 10 शीर्षों में दर्शाये गये हैं –

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
4202-01-797	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.12 (जमा)
4408-01-101	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय	0.39 (जमा)
4408-02-190	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय	0.12 (जमा)
4425-107	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.04 (जमा)
4425-108	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.06 (जमा)
4425-108	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15 (जमा)
4425-200	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15 (जमा)
4801-01-052	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03 (जमा)
5054-80-797	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03 (जमा)

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां-जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
5055-800	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.08 (जमा)
6425-107	सहकारिता के लिए कर्ज-छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किया गया ऋणपत्र	1.09 (जमा)
6425-107	सहकारिता के लिए कर्ज-एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम जगदलपुर	0.01 (जमा)
8223-102	अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	4.61 (जमा)
8342-120	विविध जमा	20.42 (नामे)
6004-02-101	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम- राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना फेज-II	3.87 (नामे)

(viii) **रोकड़ शेष** : प्रधान महालेखाकार के अभिलेखानुसार दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में रोकड़ शेष ₹ 194.40 करोड़ (नामे) था एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष ₹ 164.77 करोड़ (जमा) था। ₹ 29.63 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मुख्यतः राज्य शासन द्वारा मार्च 2023 का ₹ 29.61 करोड़ के ई-कुबेर संव्यवहार (अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान) का लेखांकन नहीं करने और मान्यता प्राप्त बैंको द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर को प्रेषित ₹ 0.02 करोड़ (निवल) का त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण रहा।

प्रधान महालेखाकार के अभिलेखानुसार 31 मार्च 2023 को रोकड़ शेष ₹ 215.63 करोड़ (नामे) थी एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष ₹ 215.95 करोड़ (जमा) थी। ₹ 0.32 करोड़ (जमा) का निवल अंतर, मुख्यतः मान्यता प्राप्त बैंको द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर को प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण हुई थी।

6. **त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण का प्रभाव** : पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेखित त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण/सांविधिक प्रावधानों के गैर अनुपालन का राज्य वित्त पर प्रभाव निम्न में सारणीबद्ध है :

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय का अत्युक्ति	राजस्व व्यय का न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय का अत्युक्ति	पूंजीगत व्यय का न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति का अत्युक्ति	राजस्व प्राप्ति का न्यूनोक्ति	रोकड़ शेष का अत्युक्ति	रोकड़ शेष का न्यूनोक्ति
3(ii)	राजस्व एवं पूंजीगत के मध्य त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण	38.93	3,656.58	3,656.58	38.93
3(viii)	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज दायित्वों	..	1.89
3(viii)	राज्य आपदा उन्मोचन निधि पर ब्याज दायित्वों	..	46.14
3(viii)	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज दायित्वों	..	28.53

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय का अत्युक्ति	राजस्व व्यय का न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय का अत्युक्ति	पूंजीगत व्यय का न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति का अत्युक्ति	राजस्व प्राप्ति का न्यूनोक्ति	रोकड़ शेष का अत्युक्ति	रोकड़ शेष का न्यूनोक्ति
3(xviii)	वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा की गई सिंगल नोडल एजेंसी के केन्द्रांश की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज	17.35	..
	2023-24	1.53	..	1.53	..
5(i)	राष्ट्रीय पेंशन योजना में कम स्थानांतरण	1.02	..
	2022-23 के अंत में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत बकाया शेष का स्थानांतरण न किया जाना	20.55	..
	ट्रस्टी बैंक को शासकीय अंशदान का कम स्थानांतरण	..	1.32	1.32	..
5(ii) (क) (बी)	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के केन्द्रांश का स्थानांतरण न किया जाना	..	90.80
	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के राज्यांश का स्थानांतरण न किया जाना	..	30.27
5(ii) (क) (डी)	खनिज विकास निधि में कम स्थानांतरण	..	247.07
5(ii) (ख) (सी)	छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि का कम अंशदान	..	111.07

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—समाप्त

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय का अत्युक्ति	राजस्व व्यय का न्यूनोक्ति	पूँजीगत व्यय का अत्युक्ति	पूँजीगत व्यय का न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति का अत्युक्ति	राजस्व प्राप्ति का न्यूनोक्ति	रोकड़ शेष का अत्युक्ति	रोकड़ शेष का न्यूनोक्ति
5(iii)	केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के सहायता अनुदान का स्थानांतरण न किया जाना	..	210.16						
5(vi)	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड उपकर का अस्थानांतरण	5.18	..
5(vii)	अधोसंरचना विकास उपकर तथा पर्यावरण उपकर का कम स्थानांतरण	..	175.66
योग (निवल) प्रभाव	अत्युक्ति / न्यूनोक्ति	38.93	4,599.49	3,656.58	38.93	1.53	0.00	46.95	0.00

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/hi>

